



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]  
No. 81]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2013/चैत्र 1, 1935  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2013/CHAITRA 1, 1935

बीमा विनियापक और विकास प्राधिकरण

### अधिसूचना

हैदराबाद, 13 मार्च, 2013

बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013

का. सं. बी.वि.वि.प्रा./वि./18/76/2013.— बीमा विनियापक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की वारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की वारा 42डी, 64वूएम और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, एतद्वारा बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) विनियम, 2000 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अद्यतः—

- 1.(i) ये विनियम बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013 कहलाएंगे।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रमुख होंगे।

#### 2. परिधारणे:

- (i) विनियम 2 में निम्नलिखित नवे खोड़ निविष्ट किये जाएंगे :

- (गण) सह-सदस्य : निमंत्रक आठ वर्ष से अन्यून अधिक के लिए वैष लाइसेंस वारण करनेवाला और विनियम 14(1)(ii) में निर्धारित अन्य भागदंडों को पूरा करनेवाला कोई भी लाइसेंसदारी सदस्य।
- (गछ) कॉरपोरेट सर्वेक्षक से सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसप्राप्त, एलएलपी अधिनियम 2008 के अधीन निगमित एलएलपी (सीमित देवता वाली भागीदारी) संहित, कैपनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित कैपनी अवया भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन बनाया गया फर्म अधिप्रेत है।

(धक) फेलो सदस्य :

निरंतर ५ वर्ष से अन्यून अवधि के लिए ऐष लाइसेंस वारपण करनेवाला और विनियम 14ए(1)(ii)में निर्धारित मानदंडों को पूरा करनेवाला कोई भी सह-सदस्य ।

(ङक) "संस्थान" से बीमा विनियापक और विकास प्राविकरण नियमित तथा केवल अधिनियम, 1999 की वारा 14 के अद्योन बीमा विनियापक और हानि नियारिक संस्थान (आईआईआरडीएमएलए) अधिष्ठेत है ।

(चक) लाइसेंसधारी सदस्य : सर्वेक्षक और हानि नियारिक के रूप में कार्य करने के लिए प्राविकरण द्वारा जारी किया गया वैष लाइसेंस वारपण करनेवाला तथा विनियम 14ए(1)(ii) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करनेवाला कोई भी व्यक्ति ।

(चछ) "सदस्य" से संस्थान का सदस्य अधिष्ठेत है तथा इसमें छात्र सदस्य, लाइसेंसधारी सदस्य, सह सदस्य और फेलो सदस्य शामिल हैं ।

(चग) "सर्वेक्षक और हानि नियारिक" से वह व्यक्ति अधिष्ठेत है जो संस्थान का सदस्य है तथा सर्वेक्षक और हानि नियारिक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक और हानि नियारिक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस वारपण करने के लिए आवश्यक और हानि नियारिक की अपेक्षा करने हेतु बीमा विनियापक और विकास प्राविकरण के पास प्राप्तिक्षणार्थी के रूप में अपना नाम दर्ज करवाता है ।

(चछ) सर्वेक्षक के सदस्य सह सदस्य से इन विनियमों के विनियम 14ए में निर्धारित मानदंडों के आधार पर सदस्य को संस्थान द्वारा आवृत्ति सह अधिष्ठेत है ।

3. लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया

(१) विनियम 3 की नियन्त्रिति से प्रतिस्थापित किया जाता है :

(१) ऐता प्रत्येक व्यक्ति जो संस्थान का छात्र सदस्य है तथा साक्षात्करण बीमा कारोबार के संबंध में सर्वेक्षक और हानि नियारिक के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक है, इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये रूप में कार्म-आईआरडीए-१-एफ में लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राविकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(२) प्राविकरण सर्वेक्षक और हानि नियारिक (एमएलए) के रूप में लाइसेंस प्रदान करने के लिए उप-विनियम (१) के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये आवेदन द्वारा विचार करते समय सर्वेक्षक और हानि नियारिक के कर्तव्यों, वायिक्षणी और कार्यों से संबंधित सभी बातों को ध्यान में रखेगा और स्वर्ण संतुष्ट होगा कि लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है । विशेष रूप से और पूर्वोक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राविकरण इस बात से त्वयं संतुष्ट होगा कि आवेदक अधिनियम की वारा 42टी और बीमा नियम, 1939 के नियम 56ए के साथ पठित वारा 64 युएम की सभी अपेक्षाएँ पूरी करता है तथा इन विनियमों के विनियम उए में निर्धारित पात्रता के मानदंडों को पूरा करता है ।

क. आवेदक सदस्यता के लाइसेंसधारी सह सदस्य से अनलाइन नेट बैंकिंग/आरटीजोएस/एनईएफटी/मौग ड्राफ्ट (डीटी) (आईआरडीए के नाम हैदराबाद में देव) के माध्यम से अदा करेगा और भुगतान का सदस्य प्रस्तुत करेगा ।

ख. संलग्न किये जानेवाले दस्तावेज (अनलाइन प्रस्तुत किये जा सकते हैं और उसके बाद हार्ड प्रति भेजी जा सकती है) :

क) सभी प्रकार से विकित भरे गये कार्म-आईआरडीए-१-एफ में आवेदन ।

ख) छात्र सदस्यता सर्वेक्षण, जारी करने का दिनांक आदि नियिंद करते हुए संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति ।

ग) छात्र में दिये गये कोटों की प्रति- ।

घ) योग्यता की प्रति ।

ङ) नियाल के प्रमाण की प्रति ।

च) अहंता का प्रमाण ।

- छ) प्रशिक्षण रामायन प्रमाणापन को प्रति  
 ज) लिखाही रिपोर्टों की प्रति (4 लिमाइन्स)  
 झ) इन विनियमों के विनियम 16 के अंतर्गत सर्वेषक को परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रबाधन के तौर पर अंक प्रक्रिया (मार्क शीट) की प्रति  
 ञ) विद्योग्यक से प्राप्त अनायास प्रमाणापन, यदि विद्योग्यित हो  
 झ) फार्म-आईआरडीए-1 एफ की कम संख्या 3 के अंतर्गत बतावे गये रूप में ग्राहकावय (ऑनलाइन के पाठ्यक्रम से आवेदन प्रस्तुत करते समय सॉफ्ट रूप में अपलोड करना होगा)  
 ञ) 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त  $4.5'' \times 10''$  के आकार का स्वर्चंह का पता लिखा हुआ लिकाफा  
 झ) यदि शुल्क का भुगतान आरटोजीएस/एनडीएफटी के ग्राहक से किया गया हो तो मौंग छाप  
 झ) यदि शुल्क का भुगतान आरटोजीएस/एनडीएफटी के ग्राहक से किया गया हो तो आरटोजीएस/एनडीएफटी द्वारा शुल्क के भुगतान का विवरण  
 ञ) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अपेक्षित किया जानेवाला कोई अन्य दस्तावेज़/सूचना  
 (झ) संख्या ग्रह से अतक विनियिट दस्तावेज़ों को प्रतिर्थी नोटरी हारा प्राप्तिगत होगी)

#### ग. प्रकटीकरण :

- i) एक बोधाया प्रस्तुत करेगा/करेगी कि वह प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई सूचना में कोई भी परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन होने के 15 दिन के अंदर प्राधिकरण के पास दरिखात करेगा/करेगी तथा आशोकित लाइसेंस प्रदान करने के लिए इन विनियमों को अनुसूची में दिये गये रूप में फार्म-आईआरडीए-17 एफ में आवेदन प्रस्तुत करेगा/करेगी। प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया लाइसेंस (भूल रूप में) आशोकित लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय अप्पर्याप्ति किया जाएगा।
- ii) ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करता/करती है जैसी कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जा सकती है
- (3) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक पाप्र है, संस्थान द्वारा प्रदान सदस्यता के साथ, योग्य विनियामक और विकास प्राधिकरण के सर्वेषक विनियमों के विनियम 3(2)के अंतर्गत विनियिट रूप में उनकी तकनीकी/व्यावसायिक/योग्यता और अन्य योग्यताओं के आधार पर आवृद्धित साधारण योग्य व्यवसाय के विनियिट दर्न/विभाग अवधारण विवरण अधार्त कावर, भरीन हल, डिजीनियरिंग, फोटोर, विसिलेनियर, फसल योग्य और साथ की हानि का उत्तरेद्वय करते हुए, इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये रूप में फार्म-आईआरडीए-2-एलएफ में लाइसेंस प्रदान करेगा।

#### ३ए. यात्रा मानदंड

- i) योग्यताएँ (विनियिट में से एक या उससे अधिक):  
 क) योग्य अवधियम, 1938 की वारा 42दी के साथ पठित वारा 6वें एम के अंतर्गत बताई गई एक या उससे अधिक योग्यताएँ,  
 ख) योग्य नियम, 1939 के विनियम 56ए के अंतर्गत बतावे गये रूप में अतिरिक्त तकनीकी योग्यताएँ  
 ग) आई.आई.आ.एम. से साधारण योग्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा  
 घ) पान्त्रिकाल विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में बी.एससी.  
 ङ) ऐसी अतिरिक्त तकनीकी योग्यता जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनियिट की जा सकती है।  
 च) संस्थान का/की 'छात्र/सदस्य' होगा/होगी।

#### ii) प्रशिक्षण :

- क) विनियम 16(1) में विनियिट रूप में बारह महीने से अन्युन अवधि के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण  
 ख) ऐसा अन्य प्रशिक्षण जो प्राधिकरण समय-समय पर विनियिट कर सकता है।  
 स्पष्टीकरण : उपर्युक्त (ii)(क) में बतावे गये अनुसार सर्वेषक और हानि विधायिक के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा अन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है जो प्राधिकरण द्वारा विनियिट किया जाएगा।

#### iii) प्रयोग्यता :

- भारतीय योग्य संस्थान अवधारण योग्य विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा संवादित सर्वेषक की परीक्षा के संबंधित प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण करना।

**सर्वेषकरण :** सर्वेषक और हानि निर्धारिक के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करनेवाले किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी समय ऐसी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है जो उपर्युक्त (iii) में बताई गई है।

**उच्ची सर्वेषक और हानि निर्धारिक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करते सभव विभाग/कार्यालय का आवंटन समय-समय पर बोध विविधायक और विकास प्राप्तिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होगा।**

(4) ऐसा सर्वेषक और हानि निर्धारिक, जिसका लाइसेंस किसी भी कारण से विरक्त अवधारणा निर्धारित किया गया हो, लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन इस प्रकार के नियमन अवधारणा विलंबन की तरीछ से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद प्रस्तुत कर सकता है तथा इस प्रकार के आवेदन को एक नया मामला माना जाएगा और तदनुसार आवेदक उप-विविधाय (2) की सभी अपेक्षाएँ पूरी करेगा।

(5) सर्वेषक और हानि निर्धारिक इन विविधायों के अवधारणा पर में संखान ने सदस्यता के स्तर के अधीन होगा।

(6) बोध विविधायक और विकास प्राप्तिकरण द्वारा इन विविधायों के प्रारंभ से यहांते जारी किये गये लाइसेंस के संबंध में यह माना जाएगा कि वह इन विविधायों के अनुसार जारी किया गया है।

(ii) विविधाय 4 को नियन्त्रिति से प्रतिस्थापित किया जाता है :

(1) नवायकोरपोरेट लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन और संबंधित मामले

i) जहाँ आवेदक कोर्पोरेट सर्वेषक के लिए आवेदक है, वहाँ प्राप्तिकरण स्वर्ण इस बात से संतुष्ट होगा कि आवेदक सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करेगा, बीमा अधिनियम, 1938 की वारा 42(2) और बोध विविधाय, 1939 के नियम 56ए के साथ पाठ्य वारा 64पृष्ठ की लागू सभी अपेक्षाएँ पूरी करेगा तथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इन विविधायों के विविधाय 3ए में नियांसित पालता मानदंडों के अनुरूप होगा।

वश्वाने कि कोई भी निवेशक अवधारणा साझेदार बीमा अधिनियम, 1938 की वारा 42(4) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की वारा 42(2) में उल्लिखित किसी भी अवधारणा से ग्रस्त न हो।

ii) कंपनी/फर्म में किसी भी समय करने से कम हो निवेशक/साझेदार ऐसे होने जो संखान के सदस्य हो तथा सर्वेषक और हानि निर्धारिक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो। उनके वैयक्तिक सर्वेषक लाइसेंस के अंतर्गत निवेशक/साझेदार का विभाग और सदस्यता का स्तर कंपनी/फर्म का विभाग और सदस्यता का स्तर बनेगा। कारपोरेट लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन की अपेक्षा करनेवाली कंपनी/फर्म के निवेशक/साझेदार के रूप में नियुक्त कोई भी लाइसेंस प्राप्त सर्वेषक और हानि विविधायक के बाल आवेदक कंपनी/फर्म के निवेशक/साझेदार की हैसियत से ही सर्वेषण के कार्य करेगा और सर्वेषण रिपोर्ट जारी करेगा।

iii) लाइसेंस प्राप्त सर्वेषक जो कंपनी/फर्म के कर्मचारियों के रूप में कार्यरत हैं, केवल उसी कंपनी/फर्म के सर्वेषण कार्य करेंगे जिसमें वे नियोजित हैं। कर्मचारी सर्वेषण कार्य के बाल उसके वैयक्तिक लाइसेंस के अंतर्गत उसे आवृत्ति विभाग और सदस्यता के स्तर में ही करेगा/करेगी।

iv) कारपोरेट लाइसेंस प्रदान करने पर कंपनी/फर्म सर्वेषण कार्य के बाल प्राप्तिकरण द्वारा जारी किये गये कारपोरेट लाइसेंस में प्रत्येक निवेशक/साझेदार के समक्ष दरावै गये विभाग और सदस्यता के स्तर में ही कर सकती है।

v) एक कारपोरेट सर्वेषक का कोई भी निवेशक अवधारणा साझेदार किसी अन्य कारपोरेट सर्वेषक में निवेशक अवधारणा साझेदार के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

vi) कंपनी/फर्म का मुख्य उद्देश्य बोध सर्वेषण और हानि नियांसित करना होगा तथा कंपनी अवधारणा फर्म के नाम में "बीमा सर्वेषक और हानि नियांसित" शब्द शामिल होगा।

vii) निवेशी कंपनी द्वारा आरित ईकिपटी शेयरों की कुल आरिताएँ लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रकट की जाएगी जो किसी भी समय आवेदक की चुकता ईकिपटी यूजी के 26 प्रतिशत अवधारणा प्राप्तिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले ऐसे अन्य प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष निवेश के परिकलन की पद्धति भारतीय बीमा कंपनियों के लिए विनिर्दिष्ट पद्धति के समान होगी।

viii) यह सुनिखित किया जाएगा कि आवेदक के उसी प्रबलक/अभिदाता के पास एक से अधिक कारपोरेट सर्वेषक लाइसेंस नहीं हो। "प्रबलक/अभिदाता" "कंपनी अधिनियम, 1956" में व्यापारिमालित रूप में होगा।

- ix) शुल्क का भुगतान विनियम 5 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी भी निदेशक/साझेदार की सदस्यता के उच्चतम स्तर के आधार पर ऑनलाइन नेट बैंकिंग /आरटीजीएस/एनडीएफटी/मैनेज़ ड्राफ्ट (डीडी)(बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण के नाम हैदराबाद में देव) के माध्यम से किया जाएगा तथा भुगतान का साझेक प्रस्तुत किया जाएगा।
- x) संलग्न किये जानेवाले दस्तावेज़ (ऑनलाइन प्रस्तुत किये जा सकते हैं और बाद में हार्ड प्रति भेजी जा सकती है) :
- क) कार्म-आईआरटीए-उएएफ में सभी प्रकार से विवित् भरा गया आवेदन,
- ख) सदस्यता संख्या, जारी करने की तारीख आदि निर्दिष्ट करते हुए निदेशकों/साझेदारों को संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति
- ग) निदेशकों/साझेदारों के हाल में लिये गये फोटो की प्रति
- घ) निदेशकों/साझेदारों के सर्वेक्षण लाइसेंस की प्रति
- इ) कंपनी के मायले में कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) द्वारा जारी किये गये विवाहन के प्रमाणपत्र की प्रति
- ज) कर्म के मायले में सभी साझेदारों द्वारा विवित् हस्ताक्षरित भागीदारी विलेख की प्रति
- झ) कंपनी से संबंधित संस्था के विवियमों और अंतर्वियमों की प्रति
- ज) कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) के पास दाखिल किये गये कार्म सं. 32 की प्रति
- झ) कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) के पास दाखिल किये गये कार्म सं. 18 की प्रति
- ज) कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) के पास दाखिल किये गये कार्म 4 की प्रति
- ट) टीएएन की प्रति
- ठ) निदेशकों/साझेदारों को घोषित का माध्य
- ट) कार्म-आईआरटीए-उएएफ की कथ मं. 2 के अंतर्गत उल्लिखित शापथपत्र (ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करते समय लॉयट रूप में अपलोड करना होगा)
- ठ) 40 रुपये के ड्राक टिकट से युक्त  $4.5'' \times 10''$  के आकार का स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा
- ण) यौग ड्राफ्ट, यदि शुल्क का भुगतान डीडी से किया गया हो
- ग) आरटीजीएस/एनडीएफटी से शुल्क के भुगतान का घोरा, यदि भुगतान आरटीजीएस/एनडीएफटी से किया गया हो
- घ) कोई अन्य दस्तावेज़/सूचना विस्तीर्णी अपेक्षा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर की जाएगी  
(क्रम संख्या पर से ड तक निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियाँ नोटरी द्वारा प्राप्तिःसंहित होंगी)
- xi) प्रकटीकरण :
- क) एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी कि कारपोरेट कर्म में समिलित होने से पहले ऐयमिक सर्वेक्षक उन्हें संपूर्ण गये सभी कार्य योगीआई विवियमों के विवियम 9 के अंतर्गत व्यवस्थित समय-सीधाओं के अंदर समाप्त करने तथा यह कि कारपोरेट लाइसेंस प्रदान करने पर ऐसे सर्वेक्षक अब से केवल कारपोरेट लाइसेंस के अंतर्गत ही कार्य करेंगे।
- ख) ऐसी अन्य अतिरिक्त अपेक्षाएँ जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
- ग) एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी कि वे निदेशक/साझेदार के त्वागार/भूत्यु/निलंबन, शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन और ऐसे अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में सूचना प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे तथा आशोकित लाइसेंस प्रदान करने के लिए ऐसे परिवर्तन के 15 दिन के अंदर इन विवियमों की अनुसूची में दिये गये स्वयं में कार्म-आईआरटीए- 18एएफ में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया लाइसेंस (दूसरे स्वयं में आशोकित लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय अस्वीकृत किया जाएगा।
- घ) उन सदस्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा जो सर्वेक्षक के स्वयं में कार्य करने के लिए लाइसेंस धारित जारते हैं तथा कंपनी/कर्म की ओर से सर्वेक्षण कार्य संचालित करने के लिए कर्म/कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और शाखा कार्यालय/कार्यालयों में नियोजित हैं।
- xii) विवियम 4(1) में उल्लिखित आवेदक इन विवियमों की अनुसूची में दिये गये रूप में कार्म-आईआरटीए-उएएफ में आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक लाइसेंस प्रदान करने के लिए पात्र है, कारपोरेट सर्वेक्षक के विभाग और सदस्यता के स्तर को निर्दिष्ट करते हुए इन विवियमों की अनुसूची में दिये गये स्वयं में कार्म-आईआरटीए-एएएफ में लाइसेंस प्रदान करेगा। इस प्रकार का सदस्यता-स्तर वह उच्चतम स्तर होगा जिस पर कारपोरेट सर्वेक्षक कार्य कर सकेगा।

(iii) विनियम 5 को विमलितित से प्रतिस्थापित किया जाता है :

सदस्यता स्तर वार सर्वेश्वक और हानि विधारिक के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए नये आवेदकों द्वारा प्राप्तिकरण को देव शूलक विमलितित सारणी में निर्दिष्ट किये अनुसार होगा :

क्रम सं.	संस्थान में सर्वेश्वक और हानि विधारिक का सदस्यता स्तर	एकमात्र रखायी सहित व्यक्तियों द्वारा देव राशि (रुपये)	कारपोरेट सर्वेश्वक और हानि विधारिक द्वारा देव राशि (रुपये)
1	फेलोशिप	10000/-	25000/-
2	सह (एसोसिएट)	7500/-	20000/-
3	लाइसेंसधारी	5000/-	15000/-

- उपर्युक्त विनियम 4(1) में उल्लिखित कॉरपोरेट सर्वेश्वक के मामले में देव शूलक उसके किसी भी विदेशीक/साइरेंटर की सदस्यता के उच्चतम स्तर के लिए लागू शूलक होगा ।
- कॉरपोरेट सर्वेश्वक के सदस्यता स्तर में जब भी अंतर (विनियम से उच्चतर) होगा, तब शूलक में अंतर कॉरपोरेट सर्वेश्वक द्वारा प्राप्तिकरण को देव होगा ।
- लाइसेंस प्रदान करना समय-समय पर व्यासांशोधित दीवा विनियमक और विकास प्राप्तिकरण सर्वेश्वक विनियम, 2000 के विनियम 3 और विनियम 4 के अंतर्गत निर्दिष्ट अपेक्षाएँ पूरी करने के अलावा ।
- सर्वेश्वक लाइसेंसिंग पोर्टल में ऑनलाइन भुगतान-पेट बैंकिंग के माध्यम से शूलक की अदायगी भुगतान की एक पहुंच यानी जाती है ।

(iv) विनियम 7 को विमलितित से प्रतिस्थापित किया जाता है :

(1) नवीकरण के लिए आवेदन की ऑनलाइन प्रस्तुति सहित, सर्वेश्वक के लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी वैधता की अवधि की समाप्ति से छम से कम तीस दिन पहले प्राप्तिकरण के पास विमानुसार पहुंच जाना चाहिए,

क) फार्म-आईआरडीए-5-एएफ में (व्यक्तियों के लिए)

ख) फार्म-आईआरडीए-6-एएफ में (कॉरपोरेट सर्वेश्वकों के लिए) जैसा कि इन विनियमों की अनुसूची में दिया गया है और उसके साथ दो ली रुपये का नवीकरण शूलक अदायित जाना चाहिए ।

वश्वर्ते कि प्राप्तिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि अन्यथा इसके कारण अनुसित काट होनेवाला है, कोई भी आवेदन आवेदक द्वारा सात दो वर्षास रुपये के दंड का भुगतान करने पर उसकी समाप्ति से छह महीने के अंदर स्वीकार कर सकता है ।

यद्यु आगे यह भी शर्त है कि इस प्रकार नवीकृत नहीं किया जानेवाले लाइसेंस का अस्तित्व समाप्त हो जाता है । तथापि, ऐसे सर्वेश्वक से प्राप्त आवेदन को विनियम 3 के अंतर्गत नये आवेदन के रूप में माना जा सकता है और उसपर कार्यादृ को जा सकती है तथा ऐसे आवेदक को प्राप्तिकरण द्वारा जारी किये जानेवाले लाइसेंस में सदस्यता का लाइसेंसधारी स्तर आवंटित किया जाएगा ।

(2) प्राप्तिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने प्राप्तिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गई, विशेष रूप से विनियमों के अन्वयान 11 में विनिर्दिष्ट की गई सभी अपेक्षाओं का पालन किया है, लाइसेंस का नवीकरण कर सकता है

प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेज (ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल में सॉफ्ट रूप में अपलोड करना होगा)

I. व्यक्ति के मामले में :

क) फार्म-आईआरडीए-5-एएफ में सभी प्रकार से विविधत भरा गया आवेदन ।

ख) दास में निये गये फोटो की प्रति - 1

ग) पीएएन (पैन) की प्रति

घ) निवास के प्रमाण की प्रति

ज) योग्यता का प्रमाण

च) नियोजक से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि नियोजित हो

छ) फार्म-आईआरडीए-12 में कार्य विधादन (विषेष 5 वित्तीय वर्षों के लिए सॉफ्ट रूप में अपलोड करना होगा)

ज) फार्म-आईआरडीए-1 एएफ को कम संख्या 3 के अंतर्गत उल्लिखित रूप में शापथपत्र (ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करते समय सॉफ्ट रूप में अपलोड करना होगा)

- अ) संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति  
 ब) 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त  $4.5' \times 10'$  आकार का स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाका  
 च) भौगोलिक का भूगतान डीडी से किया गया हो  
 द) आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा शुल्क के भूगतान का विवरण, यदि भूगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम  
 से किया गया हो

- इ) कोई अन्य दस्तावेज़/सूचना जिसकी अपेक्षा प्राथिकरण समय-समय पर कर सकता है  
 (क्रम संख्या न से इन तक निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियाँ नोटरी द्वारा प्रमाणित होंगी)

**II. कौरपोरेट सर्वेक्षकों के पामले में :**

- क) फार्म-आईआरडीए-एलएफ में सभी प्रकार से विविध भरा गया आवेदन  
 छ) विदेशकों/साझेदारों के हाल में लिये गये फोटो की प्रति  
 ग) विदेशकों/साझेदारों के सर्वेक्षक लाइसेंस की प्रति उनकी संस्थान की सदस्यता का विवरण  
 घ) कंपनी के पामले में कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) द्वारा जारी किये गये नियम के प्रमाणपत्र की प्रति  
 ङ) फर्म के पामले में सभी साझेदारों द्वारा विविध हस्ताक्षरित भागीदारी विलेख की प्रति  
 च) कंपनी से संबंधित संस्था के विविध और अंतर्नियमों की प्रति  
 छ) कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) के पास दाखिल किये गये फार्म सं. 32 की प्रति  
 ज) कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) के पास दाखिल किये गये फार्म सं. 18 की प्रति  
 झ) कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) के पास दाखिल किये गये फार्म 4 की प्रति  
 अ) टीएएन(टीएन) की प्रति  
 ट) विदेशकों/साझेदारों की योग्यता का प्रमाण

- इ) फार्म-आईआरडीए-3 एलएफ में उल्लिखित रूप में शपथपत्र (ऑनलाइन के पामल से आवेदन प्रस्तुत करते समय  
 सॉफ्ट रूप में अपलोड करना होगा)

- उ) 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त  $4.5' \times 10'$  आकार का स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाका  
 ऊ) कंपनी/फर्म का कार्य निष्पादन (पिछले 5 विलीय वर्षों के लिए सॉफ्ट रूप में अपलोड करना होगा)

- ज) भौगोलिक, यदि शुल्क का भूगतान डीडी से किया गया हो  
 झ) आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा शुल्क के भूगतान का विवरण, यदि भूगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम  
 से किया गया हो

- अ) कोई अन्य दस्तावेज़/सूचना जिसकी अपेक्षा प्राथिकरण समय-समय पर कर सकता है  
 (क्रम संख्या न से इन तक निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियाँ नोटरी द्वारा प्रमाणित होंगी)

- (3) प्राथिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक लाइसेंस के नवीकरण के लिए पात्र है, उसका नवीकरण निम्नानुसार करेगा  
 क) एकपात्र स्वामी सहित व्यक्तियों के पामले में फार्म-आईआरडीए-7-एलएफ में

- छ) कौरपोरेट सर्वेक्षक के पामले में फार्म-आईआरडीए-8-एलएफ में इन विविधों की अनुसूची में दिये गये फार्मेट में। इस  
 प्रकार नवीकृत लाइसेंस यदि समय से पहले निरस्त नहीं किया गया हो तो नवीकरण की तारीख से पौर्व वर्ष के लिए वैध  
 होगा।

- (4) लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पर कारबाई ऐसे आवेदन की प्राप्ति के समय विविध उए के अंतर्गत निर्धारित  
 पात्रता मानदंडों सहित वर्तमान पात्रता मानदंडों को व्याप में रखते हुए की जाएगी।

- (v) विविध 8 ओं विमलिंगित से प्रतिस्थापित किया जाता है :

कियाविधि जहाँ लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है :

- (1) लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को विमलिंगित आवाह पर अस्वीकृत किया जा सकता है:  
 क) यदि वह अधिनियम और इन विविधों के उपबंधों को अनुरूप नहीं है अवश्य आवेदक अधिनियम और इन विविधों के

उपबंधों का पालन नहीं करता है।

- ख) यदि प्राथिकरण की राय में लाइसेंस प्रदान करना योग्यताप्राप्तकर्ता के हित में नहीं है।

वर्णन कि ऐसे किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले आवेदक को अपनी बात कहने के लिए यक्षीकृत  
 अवसर दिया जाएगा।

- (2) जहाँ लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है, वहाँ प्राप्त शुल्क के 60 प्रतिशत से अन्यधिक  
 राशि आवेदक को लौटाई जाएगी।

(3) उपर्युक्त (1) के अंतर्गत उल्लिखित रूप में आवेदन को अस्वीकृति को सूचना आवेदक को उसकी अस्वीकृति के लिए कारण बताते हुए ऐसी अस्वीकृति के तीस दिन के अंदर दी जाएगी।

कियाविधि जहाँ लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है :

(1) प्राविकरण किसी सर्वेषक और हानि निवारक के प्रदत्त लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन को विमलिखित किसी भी कारण से अस्वीकृत कर सकता है, यदि आवेदक :

(i) ऐसा वर्कव्ह देता है जो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्राप्ति के संबंध में महत्वपूर्ण विवरण के अंतर्गत असत्य है

(ii) अधिनियम की आरा 64शूटम की उप-आरा (1) के छंड दी के साथ पठित अधिनियम की आरा 42 की उप-आरा (4) के अंतर्गत व्यवस्थित किसी भी अपोन्यता से ग्रस्त है।

बास्तेर्व कि प्राविकरण ऐसी अस्वीकृति से पहले संबंधित व्यवित को अपनी बाल कहने के लिए बोलित अवसर देगा।

(2) उप-विनियम (4) में उल्लिखित लाइसेंस की अस्वीकृति ऐसी अस्वीकृति की तारीख से प्रमाणी होगी तब कोई भी सर्वेषक और हानि निवारक उसके बाद अपने हारा किये जा रहे कार्यों सहित कोई भी सर्वेषण और हानि निवारण कार्य नहीं करेगा। ऐसे सभी लिखित कार्य उसके हारा, जैसी स्थिति हो, बीमाकर्ता अवका बीमाकृत व्यवित को लौटाये जाएंगे।

(3) ऐसा सर्वेषक जिसका लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन किसी भी कारण से अस्वीकृत किया गया है, ऐसी अस्वीकृति की तारीख से तीन वर्ष की सापानि के बाद लाइसेंस जारी करने के लिए प्रस्तुत आवेदन के रूप में माना जाएगा और तदनुसार आवेदक, जैसी स्थिति हो, विनियम 3 अवका विनियम 4 के अंतर्गत उल्लिखित सभी अपेक्षाएँ पूरी करेगा।

(vi) विनियम 9 का स्थान बदलकर उसे विनियम 20ए, 20बी और 20सी के रूप में निविट किया जाता है।

#### 4. सर्वेषक और हानि निवारक समिति का गठन और उसके कार्य

(i) विनियम 11(2)(iii) को विमलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :

सरकारी हीत्र से बीमाकर्ताओं का एक प्रतिनिधि और विजी हीत्र से बीमाकर्ता का एक प्रतिनिधि

(ii) नवा विनियम 12ए निम्नानुसार निविट किया जाता है :

#### 5. सर्वेषकों और हानि निवारिकों की नियुक्ति

(1) कोई भी व्यक्ति अवका फर्म अवका कंपनी, जैसी स्थिति हो, बीमा विनियामक और विकास प्राविकरण सर्वेषक विनियमों के विनियम 3 अवका विनियम 4 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किये बिना सर्वेषक और हानि निवारिक के रूप में कार्य नहीं करेगा/करेगी।

(2) सर्वेषक और हानि निवारिक बीम हजार रुपये से अधिक साधारण बीमा कारोबार के संबंध में बीमा की पालिसी के अंतर्गत हानि का निवारण करने के लिए बीमाकर्ताओं अवका बीमाकृत व्यक्ति हारा नियुक्त किये जाएंगे।

(3) हानि के निवारण के लिए सर्वेषक की ऐसी नियुक्ति बीमाकृत व्यक्ति को हानि घटित होने की जानकारी मिलने के समय से 72 घंटों के अंदर की जाएगी। ऐसी नियुक्ति को सूचना, जैसी स्थिति हो, बीमाकर्ता अवका बीमाकृत व्यक्ति को नियुक्ति में भेजी जाएगी तब वह दावा निपटान प्रक्रिया का भाग बनेगी।

(4) सर्वेषक और हानि निवारिक के बाल अपने लाइसेंस में विनियोंदृष्टि विधानों की हानियों का ही निवारण करेगा।

(5) बीमाकर्ता हारा नियुक्त सर्वेषक हारा किये गये हानि निवारण में किसी विवाद/असंतोष के होने की स्थिति में बीमाकृत व्यक्ति अपना असंतोष अधिनियमित कर सकता है तथा तत्प्राप्त साधारण बीमा की पालिसी के अंतर्गत सूचित हानि का निवारण करने के लिए उपर्युक्त सर्वेषक को नियुक्त कर सकता है, जिस स्थिति में शुल्क का भुगतान बीमाकृत व्यक्ति हारा किया जाएगा।

(6) नियार्त हानि को प्रमाणा में बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच विवाद, यदि कोई हो, यज्ञस्थिता के लिए संविधित किया जा सकता है।

#### 5. सर्वेषक और हानि निवारिक के कार्यव्य और दायित्व

(1) विनियम 13 के उप-विनियम 3 को विमलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :

"सर्वेषक और हानि निवारिक चाहे बीमाकर्ता हारा नियुक्त हो अवका बीमाकृत व्यक्ति हारा, अपनी रिपोर्ट बीमाकर्ता को यांत्रोग्र, परंतु अपनी नियुक्ति से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा तथा उसके साथ बीमाकृत व्यक्ति को दी गई अपनी रिपोर्ट की एक प्रति उस पर हानि के निवारण के संबंध में बीमाकृत व्यक्ति की सहमति अवका अन्य प्रकार की राव पर अपनी विधानों देते हुए प्रस्तुत करेगा। जहाँ मानते की विनियम परिविधियों में उसके विशेष और जटिल स्वरूप के कारण

आवश्यक हो, वहाँ सर्वेषांक बीमाकृत व्यक्ति को सुवित करते हुए अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए बीमाकर्ता से किसी भी सिविल में छह महीने से अधिक सौमाहीनकाल समय में बुद्धि की अपेक्षा करेगा।

यदि कोई बीमाकर्ता सर्वेषांक रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद याता है कि वह किसी भी प्रकार से अवृद्धि है, तो वह बीमाकृत व्यक्ति को सुवित करते हुए सर्वेषांक से अपेक्षा करेगा कि बीमाकर्ता हारा अधिक फिले जानेवाले ऐसे अवृद्धि पर एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस प्रकार का अनुरोध बीमाकर्ता हारा मूल सर्वेषांक रिपोर्ट की प्राप्ति से 15 दिन के अंदर किया जा सकता है।

यश्यांते कि बीमाकर्ता हारा अतिरिक्त रिपोर्ट यांगने की सुविधा का सहारा एक दावे के यापत्ते में एक से अधिक बार नहीं लिया जाएगा।

सर्वेषांक इस सूचना की प्राप्ति पर बीमाकर्ता से सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह के अंदर एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"

#### 6. सर्वेषांकों का वर्गीकरण

(I) विनियम 14 को निम्नलिखित से प्रतिश्वायित किया जाता है :

सर्वेषांक और हानि नियारिक का वर्गीकरण विनियम 14 के अंतर्गत उन्निलिखित रूप में संस्थान हारा आवंटित सदस्यता के सार के आधार पर किया जाएगा। तदनुसार लाइसेंसप्राप्त सर्वेषांक और हानि नियारिक को संस्थान हारा सदस्यता आवंटित की जाएगी। संस्थान से सदस्यता के तीन स्तर अर्थात् लाइसेंसधारी, सहयोगी और फेलो संस्थान के अंतर्विभागों में विभापरिभावित रूप में होंगे।

क. ग्रल्येक सर्वेषांक और हानि नियारिक, चाहे कंपनी हो अथवा कर्फ अथवा व्यक्ति, संस्थान हारा आवंटित और लाइसेंस में विनिर्दिष्ट सदस्यता के सार के अनुसार सर्वेषांक अथवा व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए ग्राहिकरण हारा आवंटित और लाइसेंस प्रदान करने के लिए सदस्यता हेतु आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अंदर यात्र व्यक्ति को अपवृत्त सदस्यता प्रदान करेगा।

(II) विनियम 14 के बाद एक नया विनियम 14ए प्रिविष्ट किया जाता है और वह निम्नानुसार है :

#### संस्थानके कार्य

(I) संस्थान समय-समय पर ग्राहिकरण हारा विनिर्दिष्ट फिले जानेवाले किन्हीं अन्य मानदंडों सहित, निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर सर्वेषांक और हानि नियारिक के रूप में कार्य करने के लिए ग्राहिकरण हारा यारी किया जानेवाला वैष्ण लाइसेंस प्रदान करने के लिए सदस्यता हेतु आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अंदर यात्र व्यक्ति को अपवृत्त सदस्यता प्रदान करेगा।

#### (I) सदस्यता

**लाइसेंसधारी सदस्य :** ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सर्वेषांक और हानि नियारिक के रूप में कार्य करने के लिए ग्राहिकरण हारा यारी किया गया वैष्ण लाइसेंस वारित करता है तथा विनियम 14ए(1)(ii) में नियारित अन्य मानदंडों को पूरा करता है

**सह लदस्य :** ऐसा कोई भी लाइसेंसधारी सदस्य जो ४ वर्ष से अन्यून अवधि के लिए लगातार वैष्ण लाइसेंस वारित करता है तथा विनियम 14ए(1)(ii) में नियारित अन्य मानदंडों को पूरा करता है

**फेलो सदस्य :** ऐसा कोई भी सह सदस्य जो ४ वर्ष से अन्यून अवधि के लिए वैष्ण लाइसेंस वारित करता है तथा विनियम 14ए(1)(ii) में विनिर्दिष्ट अन्य मानदंडों को पूरा करता है

(ii). प्रशिक्षण, परीक्षा, सेमिनार और कार्यशालाएँ :

क. संख्यान सभी सदस्यों के लिए प्रशिक्षण, परीक्षा, सेमिनार और कार्यशालाएँ संचालित करेगा तथा प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता के स्तर का ग्रेड बढ़ाने के लिए नीचे विनिर्दिष्ट रूप में ऐसे प्रशिक्षण, परीक्षाओं, सेमिनारों और कार्यशालाओं में सहभागिता करेगा/करेगी।

ख. सर्वेक्षक और हानि नियारिक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस की अपेक्षा करनेवाले आवेदन के संबंध में विनियम 16 में नियारित रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि में की जानेवाली वृद्धियों में संस्थान व्यवस्था करेगा तथा प्रत्येक सदस्य नीचे विनिर्दिष्ट रूप में न्यूनतम अवधि के लिए अपनी सदस्यता के स्तर के अनुसर ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करेगा/करेगी :

लाइसेंसवारी - 100 घंटे

सह-सदस्य - 50 घंटे

फेलो - 25 घंटे

ग. संस्थान अवधा प्राविकरण द्वारा प्राविकृत कोई अन्य संस्था सेमिनारों और कार्यशालाओं का संचालन करेगी तथा प्रत्येक सदस्य नीचे विनिर्दिष्ट रूप में न्यूनतम संख्या में ऐसे सेमिनारों और कार्यशालाओं में सहभागिता करेगा/करेगी :

लाइसेंसवारी - 5

सह-सदस्य - 8

फेलो - 10

परन्तु आगे यह भी जारी है कि सभी वर्तमान लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि नियारिक इन विनियमों की तारीख से 6 महीने के अंदर संस्थान के सदस्य बनें तथा संख्यान द्वारा आवृद्धि की जानेवाली सदस्यता के स्तर को निर्दिष्ट करते हुए आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राविकरण को आवेदन प्रस्तुत करें।

परन्तु आगे यह भी जारी है कि ऐसे सदस्यों से यह अपेक्षित होगा कि वे समय-समय पर प्राविकरण द्वारा नियारित की जानेवाली सर्वय-सीमा के अंदर सदस्यता के अपने वर्तमान स्तरों का ग्रेड बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, शूल्यांकन, सेमिनारों और कार्यशालाओं संबंधी अपेक्षाओं का पालन करें।

(2) संस्थान के कार्यों के कुण्डल संचालन के लिए प्राविकरण समय-समय पर इस प्रकार के यानदर्शी सिद्धांत, निर्देश अवधा ऐसी अन्य सूचना जारी कर सकता है।

#### 7. आवरण-संहिता

(1) विनियम 15 के उप विनियम 11 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

सर्वेक्षण कार्य का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें संबंधित सूचना, जैसे शीघ्राकृत व्यक्ति, बीमाकर्ता, पॉलिसी संख्या, सर्वेक्षण कार्य के आवंटन की तारीख, सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख, दाकों की विधायित राशि का विवरण, ऐसे शूल्य का घोरा निहित होगा तथा सर्वेक्षण रिपोर्टों के यहत्वपूर्ण अभिलेख, कोटोडाफ और अन्य यहत्वपूर्ण दसावेज तीन वर्ष की अवधि के लिए रखेगा तथा प्राविकरण अवधा जीर्णकर्ता प्राविकरण अवधा बीमाकर्ता द्वारा जब भी माँगा जाएगा तब ये और ऐसी अन्य विनिर्दिष्ट विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा। तथापि, उपर्युक्त सूचना/ अभिलेखों/ दसावेजों/ कोटोडाफों आदि से संबद्ध मुकदमे की स्थिति में हन्दे मुकदमे के समापन तक रखा जाएगा।

(1) विनियम 15 के अंतर्गत नवे उप विनियम सं. 15, 16, 17 और 18 निम्नानुसार निविष्ट किये जाते हैं:

प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि नियारिक-

- अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राविकरण अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियामों के सभी उपर्योगों तथा समय-समय पर प्राविकरण द्वारा जारी किये गये आदेशों, निर्देशों और यानदर्शी सिद्धांतों का पालन करेगा।
- कंपनी/कर्चर में केवल कर्मचारी/निदेशक/साउदार के रूप में ही सर्वेक्षण कार्य करेगा।
- न तो शीघ्राकृत व्यक्ति के यानदर्शीदाता के रूप में कार्य करेगा और न ही हानि, विशेष रूप से उन हानियों के निपटान में संबद्ध रहेगा जिनका विवरण नियुक्त सर्वेक्षक के रूप में उसके द्वारा किया जा रहा हो।

- ० नरसंघके अंतर्नियमों (एओए)के उपर्युक्त, विनियमों और संघ-समवय पर संस्थान द्वारा बनाई गई नीति-संहिता का पालन करेगा।

४. अध्याय VII - व्यावहारिक प्रशिक्षण का नाम 'प्रशिक्षणार्थी आवेदक' के रूप में पुनः निर्धारित किया जाता है

(1) विनियम 16 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :

**प्रशिक्षणार्थी आवेदक**

16 (1) सर्वेक्षक और हानि नियांरिक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस की अपेक्षा करनेवाला छात्र सदस्य इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये रूप में कार्य-आईआरडीए-14 में अपने प्रशिक्षक से प्रशिक्षण देने के लिए सहमति प्राप्त करने के बाद, इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये अनुसार कार्य-आईआरडीए-13 में प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्राधिकरण के पास आवेदन प्रस्तुत करेगा और नामांकन करवाएगा तथा नीचे विनियिट किये अनुसार एक लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि नियांरिक के गास बारह महीने से अन्यून अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

(1ए) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्राप्तक आवेदक जो संस्थान का छात्र सदस्य है और प्रशिक्षणार्थी के रूप में नामांकित है, नंस्थान द्वारा विधारित तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विधिवत् अनुमोदित आवरण-संहिता और नीति-संहिता का पालन करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्बिलित होंगे :

- I) वैज्ञानिक और मात्त्वनिष्ठता के साथ व्यवहार करेगा। सत्यानिष्ठता में केवल इमानदारी ही नहीं, वस्त्रिक विचल व्यवहार और सत्यानिष्ठता अंतर्निहित है।
- II) सर्वेक्षक और हानि नियांरिक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वैष्य लाइसेंस बारण किये बिना कोई भी सर्वेक्षण कार्य स्वीकार/विद्यादित/प्रारंभ नहीं करेगा तथा कोई भी सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी नहीं करेगा।
- III) हर सवन प्रशिक्षक सर्वेक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रशिक्षण के विवरण का उचित अभिलेख रखेगा, तथा
- IV) किसी भी घटनेसी द्वारा उसके विकल्प प्रारंभ की गई किसी भी कार्यवाही अवधार लंबित अवधार कार्यान्वयित की गई जारी-पड़ताल से संबंधित समस्त सूचना तथा उसके परिणाम का विवरण प्रकट करेगा।
- V) प्राधिकरण को प्रस्तुत की जा चुकी सूचना में कोई भी परिवर्तन 15 दिन के अंदर दाखिल करना।
- VI) संघ-समवय पर संस्थान द्वारा विनियिट की जानेवाली कोई अन्य अपेक्षा।

(2) सर्वेक्षक जिसके अधीन प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किया जाएगा, नंस्थान का सह-सदस्य अवयव फेलो सदस्य होगा।

(3) प्रशिक्षणार्थी उक्त अवधि के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का तिमाही अभिलेख कार्य-आईआरडीए-15 में रखेगा तथा उसे उस सर्वेक्षक और हानि नियांरिक से प्रमाणित करवाएगा जिसके अधीन उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और कार्य-आईआरडीए-16 में प्रमाणपत्र विनियम 3 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने की अपेक्षा करने के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा;

(3) क. विनियम 16(1) के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने की अपेक्षा करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा उन छात्र सदस्यों पर लागू नहीं होगी जिसके पास जोरिमो प्रबंध से संबंधित क्षेत्रों में और साथारण बीमा उद्योग में संबंधित क्षेत्र में दावों के निपटान में 15 वर्ष से अधिक अनुभव हो।

सर्वेक्षक और हानि नियांरिक के रूप में कार्य करने के लिए आवेदक को प्रदान किया जानेवाला लाइसेंस उस विशिष्ट क्षेत्र में होगा जिसके लिए उसको प्रशिक्षित किया गया है;

(4) यदि प्राधिकरण द्वारा पहले से लाइसेंस प्रदान किया गया कोई सर्वेक्षक और हानि नियांरिक उस श्रेणी को छोड़कर जिसके लिए उसे लाइसेंस दिया गया है, किसी अन्य श्रेणी में सर्वेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए उसी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षा करता है, तो वह उस विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया फेलो अवयव सह-सदस्य का लाइसेंस बारण करनेवाले सर्वेक्षक और हानि नियांरिक के अधीन छह महीने से अन्यून अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

(5) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास प्रशिक्षणार्थियों के रूप में जो यहले से नामांकित हैं, वे सर्वेक्षक और हानि नियांरिक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए विनियम 3 में नियांरित मानदण्डों का पालन करने के अतिरिक्त, नंस्थान के छात्र सदस्य बनेंगे।

(ii) विनियम 17 में 'उक्त परेक्षा या तो...' शब्दों के बाद 'प्राधिकरण' शब्द को 'नंस्थान' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

उक्त विनियम निष्पानुसार पढ़ा जाएगा :

प्राधिकरण विनियम 3 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए उपर निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त करने पर आपेक्षा द्वारा एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की गई भी निर्धारित कर सकता है। उक्त परीक्षा या तो संस्थान द्वारा या बीमा विनियापक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था द्वारा आयोजित की जा सकती है।

#### 9. विविध

लाइसेंसप्राप्त बीमा सर्वेषङ्को और हानि निर्धारिको का रपिटर

- (i) विनियम 18 के उप विनियम I में 'प्राधिकरण' शब्द को 'संस्थान' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) विनियम 18 के उप विनियम I (B) में 'प्राधिकरण' शब्द को 'संस्थान में सदस्यता का स्वर' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) विनियम 18 के उप विनियम 3 में 'करवायेगा' शब्द को 'करवा सकता है' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

यह विनियम निम्नानुसार पड़ा जाएगा :

प्राधिकरण रपिटर द्वारा दिये गये संबंधित विवरण को उसके द्वारा उपचुक्त समझे गये रूप में, ऐसे अंतरालों पर और ऐसे तरीके से जैसा कि उचित समझा जाएगा, प्रकारित करवा सकता है।

सर्वेषङ्क और हानि निर्धारिक द्वारा विवरणों का प्रस्तुतीकरण

- (ii) विनियम 19 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

प्राप्तक: लाइसेंसप्राप्त सर्वेषङ्क और हानि निर्धारिक :-

(क) प्राधिकरण द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा तब ऐसा दस्तावेज, विवरण, छाना, विवरणी अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा समय-समय पर इसके नियमत प्राधिकरण द्वारा जारी किये जानेवाले ऐसे निर्देशों का पालन करेगा; तथा

(ख) इन विवरणों की अनुसूची में दिये गये यार्ड-आइआरडीए-12 में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(ग) प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण को निम्नलिखित की प्रस्तुति करेगा :

- i) रोजगार निवासों के अंतर्गत कार्यालयी सर्वेषङ्कों पर कारबाई, यदि कोई को नहीं हो, सहित लाइसेंसप्राप्त सर्वेषङ्कों के कारबाहर से संबंधित लिमाही रिपोर्ट
- ii) प्राधिकरण के पास वार्षिक रूप से सर्वेषङ्कों की नियुक्ति, सर्वेषङ्कों के उपयोग और लाइसेंसप्राप्त सर्वेषङ्कों को सर्वेषङ्क कारबों के आवंटनके लिए अपनाई गई कारबाहिति के संबंध में कंपनी द्वारा बनायी गई चीति की एक प्रति वार्षिक फरेगा।
- iii) (घ) के अंतर्गत बायाये गये रूप से प्रस्तुत को गई चीति में यदि कोई परिवर्तन किये गये हों तो उसके लिए कारणों सहित ऐसे परिवर्तन 15 दिन के अंदर दाखिल करेगा।

#### परीक्षण

- (iii) विनियम 20 के उप विनियम 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :

सर्वेषङ्क और हानि निर्धारिक निरीक्षण/जाँच-पड़ताल करने के प्रयोगन के लिए निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा माँगी गई सूचना उपलब्ध कराएगा तथा उसके कार्य के संचालन को मुमाल्य बनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।

- (iv) युक्त की स्थिति में कारबाई - लाइसेंस का निवेदन

लाइसेंस के निवेदन से संबंधित विनियम 9 का स्वान बदलकर उसे निम्नानुसार 20ए के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है :

- (1) प्राधिकरण सर्वेषङ्क और हानि निर्धारिक (वैयक्तिक/कारबाहित) को घटले से प्रदान किया गया लाइसेंस निलंबित करेगा, यदि

यह :

- i. अपने कारबों और दायित्वों का नियाइ संतोषजनक और व्यावहारिक ढंग से नहीं करता; अथवा
- ii. इन विवरणों में विनियम आधारण-संहिता का उल्लंघन करता है अथवा
- iii. लाइसेंस प्राप्त करने अथवा उसका नवीकरण करवाने के लिए यात्रा के संबंध में अथवा उसके द्वारा या उसके द्वारा किये गये किसी भी कार्यकलाप में अथवा सर्वेषङ्क और हानि निर्धारिक के रूप में उसके साथ संबद्ध मामलों में महत्वपूर्ण विवरण में झुठा दबतब्ब देता है अथवा उसने ऐसा लाइसेंस जारी करने अथवा नवीकृत करने के बाद अधिनियम की थारा 42(4) के साथ पक्षित अधिनियम की थारा 42 की उप-थारा (4) के अंतर्गत व्यवस्थित कोई भी अयोग्यता प्राप्त की है।

- iv. उसने अधिनियम अथवा बीपा विनियोगक और विकास प्राथिकरण अधिनियम, 1999 अथवा उन अधिनियमों के अंतर्गत बनाये गये किसी भी नियम अथवा विनियम के किसी भी उपक्रम अलवा प्राथिकरण द्वारा जारी किये गये किसी भी आदेश अथवा निर्देश का उल्लंघन किया है।
- v. अपने दाखिलों के निवाह में तापरबाह रहा है
- vi. उसे किसी भी न्यायालय द्वारा काराकार का दंड दिया गया है
- वर्णते कि प्राथिकरण ऐसे नियमों से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए उचित अवसर देगा।
- 2) प्राथिकरण उस स्थिति में भी लाइसेंस निलंबित कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा लाइसेंस जारी रखना पौलिसीआरकों के हितों के विपरीत होगा तथा उस स्थिति में वैयक्तिक सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सकता।
- 3) प्राथिकरण कारपोरेट सर्वेषक के निदेशक/साझेदार के वैयक्तिक लाइसेंस को निरस्त करने के अधिरिक्त, उपर्युक्त 1 और 2 के अंतर्गत वर्णित रूप में किये गये किसी भी कार्य के लिए कारपोरेट सर्वेषक का लाइसेंस भी निलंबित कर सकता है यदि वह उसके किसी भी एक साझेदार/निदेशक द्वारा किया गया हो।
- 4) लाइसेंस का नियम ऐसी अवधि के लिए होगा जो आदेश में विदित की जा सकती है तथा वह आदेश के दिनांक से तब तक प्रभावी होगा जब तक उसे रद्द नहो किया जाता।
- 5) नियमन की अवधि के द्वारा ऐसे लाइसेंस का धारक अपने द्वारा किये जा रहे कार्यों सहित कोई भी सर्वेषण और हानि निवारण नहीं करेगा तथा ऐसे सभी लाइसेंस कार्य, जैसी स्थिति हो, जीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति को लौटा देगा।
- 6) सर्वेषक जिसका लाइसेंस किसी भी कारण से नियमित किया गया है, ऐसे नियमन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा इस प्रकार का आवेदन नया लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन के रूप में आना जाएगा और तदनुसार आवेदक जैसी स्थिति हो, विनियम 3 अथवा विनियम 4 के अंतर्गत बताई गई सभी अपेक्षाएँ पूरी करेगा।

#### लाइसेंस का नियमन

(v) एक नया विनियम 20वीं नियमानुसार निविष्ट किया जाता है :

1. जहाँ वह पाया जाता है कि सर्वेषक और हानि नियारिक अधिनियम की धारा 42(4) के साथ पठित धारा 42डी में उल्लंघित किसी भी अयोग्यता से उत्पन्न है अथवा अधिनियम या बीपा विनियोगक और विकास प्राथिकरण अधिनियम, 1999 या उन अधिनियमों के अंतर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों के किसी भी उपक्रम अथवा प्राथिकरण द्वारा जारी किये गये किसी आदेश, निदेश अथवा अनुदेश का उसने जानबूझकर उल्लंघन किया है, तो प्राथिकरण ऐसी तारीख से उसका लाइसेंस निरस्त कर सकता है जो प्राथिकरण के द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

वर्णते कि प्राथिकरण नियमन से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात कहने का उचित अवसर प्रदान करेगा।

यद्यपि आगे यह भी शार्त है कि इस उप-विनियम में प्राथिकरण को प्रदत्त शक्तियाँ अधिनियम की धारा 6व्यूहप की उप-धारा (7) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले जिन्हे हैं।

2. प्राथिकरण उस स्थिति में भी लाइसेंस नियमन कर सकता है यदि उसकी राय में ऐसे लाइसेंस को जारी रखना पौलिसीआरकों के हितों के विपरीत होगा।

3. सर्वेषुक जिसका लाइसेंस किसी भी कारण से नियमन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसा आवेदन नया लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन के रूप में आना जाएगा और तदनुसार आवेदक जैसी स्थिति हो, विनियम 3 अथवा विनियम 4 के अंतर्गत बताई गई सभी अपेक्षाएँ पूरी करेगा।

लाइसेंस के नियमन और नियमन के लिए कियाविधि

(vi) एक नया विनियम 20वीं के रूप में नियमानुसार निविष्ट किया जाता है :

1. लाइसेंसप्राप्त सर्वेषक और हानि नियारिक, जिसका लाइसेंस प्राथिकरण द्वारा नियमित अथवा नियमन किये जाने का प्रस्ताव है, को लाइसेंस नियमित अथवा नियमन करने से पहले सुनवाई का एक अवसर दिया जा सकता है।

वर्णते कि प्राथिकरण द्वारा कियाविधि का अनुसरण नहीं कर सकता यदि लाइसेंसप्राप्त सर्वेषक और हानि नियारिक के नियमन को जारी रखना पौलिसीआरकों के हितों के विपरीत आना जाता है।

2. नियमन का आदेश प्राप्त करने पर लाइसेंसप्राप्त सर्वेषक और हानि नियारिक नियमन को रद्द करने के लिए प्राथिकरण के समझ अध्यावेदन दाखिल कर सकता है। प्राथिकरण एक अधिकारी को नामित कर सकता है जो अध्यावेदन या विचार करने के बाद ऐसा आदेश अथवा ऐसे आदेश पारित करेगा/करेगी जो वह उचित समझेगा/समझेगी विसकी सूचना नियमित सर्वेषक और हानि नियारिक को दी जाएगी।

3. यदि नामित व्यक्ति के आदेश के आधार पर प्राधिकरण निलंबन के आदेश को रद्द करता है तथा सर्वेक्षक और हानि निवारिक के लाइसेंस को पुनःप्रदायलित करता है, तो प्राधिकरण यह तारीख निर्दिष्ट करेगा जब से पुनःप्रदायलन लगभग होगा।
4. प्राधिकरण द्वारा प्रदायल लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया जा सकता है जहाँ सर्वेक्षक और हानि निवारिक निलंबन के आदेश की तारीख से 45 दिन की अवधि के अंदर अध्यावेदन प्रस्तुत नहीं करता।
5. निलंबन का कोई आदेश अध्यावेदन के आदेश का प्रतिसंहरण बीमाकर्ता को सूचित किया जाएगा।
6. प्राधिकरण सरकारी राजधानी में केवल निरस्त ही अधिसूचित करेगा।

अनुसूची

फार्म - आईआरडीए - 1 - एएफ  
[विनियम 3(1) देखें]

सर्वेक्षक और हानि निवारिक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन (वैयक्तिक)

जीव-सूची

कृपया निम्नलिखित को भूमिक्षित करें :

- 1) संस्थान द्वारा जारी किये गये छात्र सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करना।
- 2) आवेदन की प्रस्तुति के दोस्रा 'नेट बैंकिंग/इओडी/एन्डॉफटो/बारटोजीएस' के पाल्प्रम से शुल्क (जैसा कि विनियमों में उल्लिखित है) का ऑनलाइन भुगतान करना।
- 3) नोटरी/यांत्रिक्य-द्वारा साझेयांकित डिप्टी/डिप्लोमा की स्कैन की हुई प्रतिचार्यों द्वारा रखना।
- 4) आवेदन कार्य की क्रम सं. 2 के लिए विवित नोटरीकृत शाखाओं (एफिकेविट) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि संलग्न करना।
- 5) प्रश्न सं. 4, 8, 9, 10 और 11 के प्रत्युत्तर में साझेयांकित और स्कैन किये हुए दस्तावेज संलग्न करना। इन प्रश्नों के लिए उत्तर देना अनिवार्य है।
- 6) आवेदन कार्य के साथ हाल में लिये गये पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करना।
- 7) आवेदन की चालानियक (फिजिकल) प्रतिचार्य, अपलोड किये गये दस्तावेज और 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त अपना पता लिखा हुआ 4.5" x 10" आकार का लिफाफा आईआरडीए को भेजना। लाइसेंस प्रदान करने के लिए ये अनिवार्य हैं।

टिप्पणियाँ : विनियम 3 के साथ पढ़ें

1. आवेदक का व्यायाम योग्य अधिनियम, 1938 की धारा 102 की ओर आकृषित किया जाता है जिसके अनुसार यह अवधार है कि जो कोई भी उक्त अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अवधार विनियमों के किसी भी उपरोक्त के लिए अपेक्षित किसी भी दस्तावेज में आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं करता, वह ऐसी प्रत्येक चूक के लिए 5 लाख रुपये से अवधिक रुपरेक्षा के लिए उत्तरदायी तथा जुरायी से दंडनीय होगा।
2. एक अधिकारी के द्वारा एक ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है जो उसे किसी बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निवारिक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र बनाएगा।
3. आवेदन में प्रश्नों के लिए उत्तर में किये गये किसी भी सूचार अध्यावेदन के लिए आवेदक द्वारा आदानप्रदान (इनोशियल्स) किये जाने चाहिए।
4. आवेदक की अनिवार्यता : आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को काम से काम 18 (अठारह) वर्ष की आयु का होना चाहिए। आवेदक द्वारा 18 वर्ष के होने की घोषणा करने की स्थिति में जन्म के वर्ष में आनेवाली चालानियक जन्मतिविधि आवेदन की खद 4 के समझ दी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आवेदक आयु के लिए चालू प्रस्तुत करेगा।
5. आवेदन कार्य सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर आवेदक को एक सूचना भेजी जाएगी।
6. प्राधिकरण को प्रस्तुत सूचना में कोई भी परिवर्तन अनिवार्यता : प्राधिकरण को ऐसे परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर सूचित किया जाना चाहिए।
7. चूंकि लाइसेंस द्विभायिक रूप में अवाईट हिन्दी और अंग्रेजी में जारी किया जाता है, अतः आवेदक यह निर्दिष्ट करे कि यह अपना नाम हिन्दी में कैसे लिखता है। अतः यह सूचित किया जाता है कि नाम और पता दोनों लिखें जाएं।

1. मैं, संस्थान का छात्र सदस्य, अनुरोध करता हूँ कि सर्वेक्षक और द्वानि विवारक के रूप में कार्य करने के लिए मुझे निम्नलिखित वर्ग/विभाग के लिए आमंत्रण प्रदान किया जाए।

विभाग	फायर	परीन कार्गो	परीन हल	ट्रॉफीनियरिंग	पोटर	पिसिलेनियर	फ्लॉल बीमा	एलओडेर्पे
टिक लगाएँ								

छात्र सदस्यता का विवरण ... (संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रयागर और पहचान-पत्र को सॉफ्ट प्रति अपलोड करनी होगी)

2. मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ/करती हूँ कि

- मैं संझाप शेक्सपियर के न्यायालय द्वारा विक्षित नहीं पाया गया हूँ/पायी गई है।
- मैं संझाप क्लॉविकार के न्यायालय द्वारा अपराधिक दुर्बिनियोजन अवधा अपराधिक विक्षास्थान अवधा बोन्डेकानी अवधा जालसाजी अवधा कोई भी अपराध करने के लिए अवधा प्रयागर करने अवधा प्रयागर करने का दोषी नहीं पाया गया है/पायी गई है।
- मैं किसी भी योग्याकारी/वैद्यमानी ये जानदूङ्कर साझेदारी करने अवधा गुन रूप से सहयोग देने अवधा बीमा की किसी भी चालिकी अवधा बीमा कंपनी के समापन से संबंधित किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान बीमाकर्ता अवधा बीमाकृत व्यक्ति के विकल्प गतिविधानी करने का दोषी नहीं पाया गया हूँ/पायी गई है।
- मैं प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा व्यविनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं कर्तव्य/नहीं कर्तृत है।
- प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा व्यविनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक योग्यताएँ और व्यावहारिक प्रशिक्षण ऐप पास है।
- मैंने प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा व्यविनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है।

3. मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ कि नीचे दिया गया विवरण सही है :

क) पूरा नाम ( भी/भीमती/कुमारी) [अंग्रेजी और हिन्दी में] :

ख) पिता/पति का नाम :

ग) वर्तमान पता [अंग्रेजी और हिन्दी में]

पता 1 :

पता 2 :

पता 3 :

नगर/शहर/गांव :

जिला :

राज्य :

देश :

पिन कोड :

घ) स्थायी पता पता 1 :

पता 2 :

पता 3 :

नगर/शहर/गांव :

जिला :

राज्य :

देश :

पिन कोड :

4. योग्यता

क) शैक्षिक / व्यावसायिक :

ख) बीमा :

## ग) ग्रात प्रशिक्षण :

(उपर्युक्त सभी का स्वरूप एवं अवधि दर्शाएँ)

## 5. संपर्क

फोन कार्यालय	फोन निवास	फैक्ट्री	घोषाल	ई-मेल आइडी	वैकल्पिक ई-मेल आइडी

## 6. अन्यतिथि :

## 7. एकल स्वामी (यदि लागू हो तो नाम बताएँ) :

## 8. व्यावहारिक प्रशिक्षण का विवरण (कृपया सर्वेक्षक/सर्वेक्षण फर्म से ग्रात प्रशिक्षण समापन प्रमाणपत्र संलग्न करें)

सर्वेक्षक/सर्वेक्षक को कंपनी का नाम	सर्वेक्षक/सर्वेक्षण फर्म को अवैटिट विभाग	सर्वेक्षक/सर्वेक्षण फर्म को अवैटिट सदस्यता का सार	ग्रात प्रशिक्षण की अवधि (कृपया तारीखे निचे)	व्यक्ति(चौं) का नाम जिनके अंदर प्रशिक्षण पाया	समाविष्ट क्षेत्र	परिणाम

## 9. अनुभव का विवरण :

क) क्या आवेदक किसी दूसरा कंपनी से नियुक्त है :

ख) दोनों सर्वेक्षक को छोड़कर पिछली नौकरी में कार्य का अनुभव, यदि कोई हो :

ग) अन्य व्यवसाय / रोजगार का विवरण :

## 10. अवधारणा की स्थिति :

0 छात्र 0 अवधारणी 0 कारोबार 0 कर्मचारी 0 सेवा 0 गृहिणी 0 अन्य

## 11. रोजगार का विवरण : (रोजगार के तारीख-वार क्रम से)

क) क्या आवेदक वर्तमान में नियोजित है ? हाँ / नहीं :

ख) यदि हाँ, तो निचे खोरा है और नियोजका से ग्रात अपार्टिं प्रमाणपत्र (एनओसी) की

स्कैन की हुई प्रति भी संलग्न करें।

नियोजका का नाम	संस्था का स्वरूप	कार्य का स्वरूप	नियोजन की अवधि	
			किस तारीख से	किस तारीख तक
(सरकारी/अर्थ-सरकारी/नियोजी फर्म, दोनों कंपनी, सर्वेक्षण फर्म, सरकारी क्षेत्र का उपकरण, अन्य)	(दोनों सर्वेक्षण से संबंधित, अन्य)			

ग) किसे गये किसी अन्य कार्य / व्यवसाय का विवरण :

कार्य का नाम	पदनाम	कार्य का स्वरूप

## 12. क्या कंपनी आपने सर्वेक्षक और हानि नियारिक के रूप में कार्य करने के लिए

लाइसेंस ग्रात किया ? यदि हाँ, तो खोरा प्रस्तुत करें :

लाइसेंस सं. :

जारी करने की तारीख :

समाप्त होने की तारीख :

## 13. शुल्क का भुगतान : नेट बैंकिंग/डीडी/एनईएफटी/आरटीबीएम

सभी सर्वेष्ट्रक श्रेणियों के लिए तार्ग शुल्क

संस्थान द्वारा आवृत्ति सदस्यता के आधार पर सर्वेष्ट्रक और हानि निवारक की श्रेणी	व्यक्तियों द्वारा देय राशि सर्वेष्ट्रक और हानि निवारक
फेलो सदस्य	10000
सह-सदस्य	7500
लाइसेसारी सदस्य	5000

## 14. घोषणा :

यै सत्वनिष्ठा से घोषणा करता/करती हैं तथा पुस्ट करता/करती हैं कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

फार्म - आईआरटीए - 2 एलएफ

[विनियम 3(3) देखें]

अहसानतरणीय

बोगा विनियापक और विकास प्राधिकरण

लाइसेस रंग

बोगा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत सर्वेष्ट्रक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेस  
(वैयक्तिक)

श्री/ श्रीमती/कुमारी.....

पता मकान रंग..... शहरी.....

शहर/ज़िला..... राज्य.....

पिन कोड.....

“जो..... के एकमात्र स्वामी के रूप में कार्यरत हैं और संस्थान की जिनकी सदस्यता संख्या..... है, को विनिर्दिष्ट शुल्क अदा करने तथा आवश्यक घोषणा करने के उपलब्ध रूप में इसके द्वारा बोगा अधिनियम, 1938 की आरा 64-चूप्य के अधीन..... से पौर्ण चर्च की अवधि के लिए सर्वेष्ट्रक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह लाइसेस (दिन)..... (माह)..... (वर्ष)..... को समाप्त होगा।

नाम..... जो विभालिखित विभाग और श्रेणी आवृत्ति है :

विभाग	फाचर	मरीन क्षाग्रों	मरीन हल्ल	इंजीनियरिंग	मोटर	प्रिमिलेनियर्स	फसल बीपा	एलओपी
सदस्यता का स्तर								

हैदराबाद, दिनांक : (दिन-माह-वर्ष)

1227 ९७/१३-५

लाइसेंसारक के इन्स्प्रिटर

नामित व्यक्ति  
बीमा विनियोगक और विकास प्राधिकरण

**टिप्पणियाँ :**

- यदि इस लाइसेंस का आरे की अवधि के लिए नवीकरण करने की अपेक्षा की जाती है, तो विनियोग में बताई गई प्रक्रिया का अनुसारण किया जाएगा तथा नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण के पास लाइसेंस के समाप्त होने से कम से कम तीस दिन पहले पहुँच जाना चाहिए।
- यह लाइसेंस किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसारक को प्राधिकृत करता है तथा इस कारण से ऐसा कोई पहचान-विट्रु अववा किसी प्रकार का कोई संकेत विस्तक द्वारा किसी बीमाकर्ता की पहचान प्रकट हो सकती हो, लाइसेंस पर अंकित नहीं किया जाना चाहिए।
- इस लाइसेंस में कोई भी सुधार तथा तक ऐव नहीं होगा जब तक प्राधिकरण के नामित व्यक्ति द्वारा आद्यात्र नहीं किये जाएंगे।

फार्म - आईआरडीए - 3 - प्रएफ

[विनियम 4 देखें]

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस हेतु फार्म अववा कंपनी से आवेदन

**जीव-सूची**

कृपया विमलितिका को सुनिश्चित करें :

- निदेशकों/साझेदारों को संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करना।
- आवेदन की प्रस्तुति के दोरान "पेट बैंकिंग" के माध्यम से शुल्क (जैसा कि विनियोग में उल्लिखित है) का ऑनलाइन भुगतान करना।
- केवल नोटरी/पर्सिस्टेट द्वारा समझौतिकि डिग्री/डिलोग/तकनीकों योग्यताओं की स्कैन की हुई प्रतिचार्य लेखर रखना।
- आवेदन फार्म की क्रम से, 2 के लिए विवित नोटरीकृत शपथपत्र (एफडेविट) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि संलग्न करना।
- जहाँ भी अपेक्षित है वहाँ दस्तावेजों की साझेयिता और स्कैन की हुई प्रतिचार्य संलग्न करना।
- 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त 4.5" x 10" आकार का अपना पता लिखा दुआ लिफाफा आईआरडीए को भेजना।

**टिप्पणियाँ : विनियम 4 के साथ पढ़ें**

- आवेदक का ध्यान बीमा अधिनियम, 1938 की बारा 102 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार यह व्यवस्था है कि जो कोई भी उक्त अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाये गये विवरों अववा विनियोग के किसी भी उपर्युक्त के प्रयोगम के लिए, अपेक्षित किसी भी दस्तावेज में आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं करता, वह ऐसी प्रत्येक छूट के लिए 5 लाख रुपये से अधिक दंड के लिए उत्तरदायी तथा नुपरि से दंडनीय होगा।
- एक फार्म अववा कंपनी अववा कंपनियों का समूह केवल एक ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है जो उसे सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र बनाएगा।
- आवेदन में किये गये किसी भी सुधार अववा परिवर्तन के लिए आवेदक को आद्यात्र (डुनीशियल्स) करने चाहिए।
- कंपनी के नाम में "बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक" जोड़ना चाहिए।
- एक लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (प्रएलाए) एक कंपनी/फार्म से अधिक के लिए निदेशक/साझेदार के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
- सभी निदेशक सर्वेक्षक का लाइसेंस रखेगें विवित लाइसेंसीकृत होने तक संस्थान के सदस्य होंगे।

7. कंपनी/फर्म का मुख्य उद्देश्य सर्वेक्षण, हानि निर्धारण और संबंधित कार्य करना होगा ।
8. लाइसेंस के विवरण में कोई भी परिवर्तन आश्रोवित लाइसेंस प्रदान करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को 15 दिन के अंदर सुचित किये जाने चाहिए । फर्म की ओर से शापथपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
9. लागू किया जानेवाला शुल्क कंपनी/फर्म के किसी भी निदेशक/साझेदार की सदस्यता के उच्चतम स्तर पर आधारित है ।
10. गैर-न्यायिक स्टैप पेपर पर विविवत् नोटरीकृत 10/- रुपये के एक शापथपत्र को रैकेन करना तथा आवेदनपत्र की क्रम संख्या 6 पर निहित रूप में एक घोषणा के रूप में लाइसेंस के वरीकरण के लिए संलग्न करना अपेक्षित है ।
11. अपेक्षन फर्म को सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर आवेदक को एक ई-पेल सूचना प्रेषित की जाएगी ।
12. प्राधिकरण को प्रस्तुत सूचना में कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को उक्त परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर अवश्य सुचित किया जाना चाहिए ।

- यह अनुरोध है कि सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए हारारे फर्म/कंपनी को नियमित विभागों और हारारे निदेशकों/साझेदारों को उनके वैयक्तिक सर्वेक्षक लाइसेंस के अंतर्गत आवंटित सदस्यता के स्तर के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाए ।

विधाग	फावर	परीन कार्यों	भरीन हल	इंजीनियरिंग	चोटर	मिसिलेनियस	फराल बीमा	एसओपी
निदेशकों/साझेदारों का नाम, उनके वैयक्तिक लाइसेंस का विवरण और सदस्यता का स्तर								

- इसके द्वारा घोषणा की जाती है कि
  - (i) सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा हमारी कंपनी/फर्म के किसी भी निदेशक/साझेदार को विक्षिप्त नहीं पाया गया है ।
  - (ii) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विधानोंने अवश्य आपराधिक विवास्थात अवश्य दोखेदारी अवश्य जालसाजी अवश्य कोई भी अपराध करने के लिए अवधिरित करने अवश्य प्रवास करने का दोषी नहीं पाया गया है ।
  - (iii) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार किसी भी शोखालडी/सेहमानी में जानबूझकर साझेदारी करने अवश्य गुल रूप से सहयोग देने के लिए अवश्य बीमा को किसी भी पालिसी अवश्य बीमा कंपनी के समापन से संबंधित किसी भी न्यायिक कार्रवाई के दौरान अवश्य बीमाकर्ताओं के खातों की जाँच-पड़ताल के दौरान बीमाकर्ता अवश्य बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध गलतव्यापी करने के लिए दोषी नहीं पाया गया है ।
  - (iv)
  - (v)
  - (vi)
  - (vii)
- हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार अवश्यक नहीं है ।
- हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा ।
- हमारी कंपनी/फर्म के सभी निदेशकों/साझेदारों के पास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अवश्यक वोग्यालैं और अवश्यक प्रशिक्षण है ।
- हमारी कंपनी/फर्म के सभी निदेशकों/साझेदारों ने प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा व्यावधिनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है ।  
(उपर्युक्त घोषणा औनलाइन लाइसेंसीकरण प्रक्रिया में प्रोपोस्युलेट करेगी)
- यह भी घोषणा की जाती है कि नीचे दिया गया विवरण सही है ।
  1. कंपनी/फर्म का नाम (अंग्रेजी और हिन्दी में) :
  2. कंपनी/फर्म का पता (अंग्रेजी और हिन्दी में) :

(पंजीकृत/कॉरिपोरेट कार्यालय)

- ### ३. राष्ट्रका कार्यालय/कार्यालयों का विवरण

(बदि कोई नो) :

- #### 4. कर्मचारियों का विवरण

पर्यावरण विभाग की संस्थानों का नाम	प्रदान की गयी विधि	विधि की विवरण		प्रदान की गयी विधि	विधि की विवरण
		किस सारी दस्तावेज़ से	किस तरीख तक		
लाइसेंस संख्या और सदस्यता का संग्रह	प्रदान की गयी विधि	किस सारी दस्तावेज़ से	किस तरीख तक	प्रदान की गयी विधि	विधि की विवरण

यह भी पोषणा की जाती है कि पत्ने और जन्मसिध्यों के साथ जिन सभी निटेश्यों और शाक्षेदारों के नाम प्रस्तुत किये गये हैं के :

- क) 31 मई 1970 को संघेश्वर और हानि नियारिक के रूप में कार्यरत रहे हैं अवधारा;

સાહેબ અનુભવ

- ग) भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान अथवा भारतीय लागत और कार्ब (चर्च) एकाउटेंट्स संस्थान के फैलो अशा असोसिएट सदस्य हैं अथवा

घ) दीमांकिक और विद्युतीय उपकरणों के अवलोकन किसी भारतीय विश्वविद्यालय अथवा बीमा से

ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੰਡੀ ਯਾ ਇੱਲੋਪਾ ਰਖਣੇ ਹੈਂ। ਅਥਵਾ

इ) समकाल इतारा प्रदूष अधिकारी मान्डलापासाठी द्वोपा ने दिल्लीवासी उरुद्धोरे हैं, अधिकारी

व) नियम 56ए में उल्लिखित तकनीकी योग्यताओं में से कोई योग्यता रखते हैं।

(व्याप्ति दै 1 : जहाँ विदेशको/साझेदारों द्वारा प्रत्येक के मामले में उपर्युक्त भद्र (ख) के अंतर्गत होने का दावा किया गया है तब उपर्युक्त (ख) से (च) तक की किसी भी भद्र के अंतर्गत होने के लिए ये पात्र नहीं हैं, वहाँ बीमा नियम, 1939 में दिये गये रूप में तबा किसी अविस्ट्रेट या नोटरी परिकल के सम्बन्ध शाष्ट्र-ग्रहण किये गये रूप में एक घोषणा प्रेषित की जानी चाहिए एवं वहाँ साझेदारों/विदेशकों द्वारा प्रत्येक के मामले में उपर्युक्त (ख) से (च) तक की किसी भी भद्र के अंतर्गत होने का दावा किया गया है वहाँ या तो डिप्लोमाओं/प्राणाणपत्रों की भूल प्रतिथां उनमें से प्रत्येक की साक्षात्कालित प्रति के साथ अवधारा भूल डिप्लोमाओं/प्राणाणपत्रों की एक विविस्ट्रेट अवधारा नोटरी परिकल द्वारा विविक्त साक्षात्कालित प्रतिनिधि संलग्न वीज जानी चाहिए । जहाँ भूल डिप्लोमा/प्राणाणपत्र भेजे जाते हैं, वहाँ उन्हें अंशलोकन के पश्चात् लौटाया जाएगा, परंतु ऐसी भूल प्रतिथों के खो जाने अवधारा क्षतिप्रसन्न होने के लिए कोई किस्मेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी ।

5. निदेशकों का विवरण (बहुविधि निदेशकों का विवरण प्राप्त करने के लिए)

एसापल्लै सं. : - - - - -

**संस्कार की नदुरस्थिता का विवरण :**

सदस्यता/पहुँचान-पत्र मी. : .....

पहचान-एवं जारी करने की तारीख : .....

आवृद्धित सदस्यता का स्तर : .....

समाप्त होने की तारीख : .....

नाम : .....

पत्राः ... - - -

आर्यटिक विभाग

## पिछले शोजनार का विवरण

नियोजका का नाम	संगठन का स्वरूप	कार्य का स्वरूप	नियोजन की अवधि	
			किस तारीख से	किस तारीख तक
(सरकारी/अर्थ-सरकारी/नियोजक कंपनी, सर्वेक्षक कर्म, सरकारी हेतु का उपकरण, अन्य)	(चीमा सर्वेक्षण तो संबंधित, अन्य)			

व्यापार दें : जहाँ नियोजकी निर्देशक /साझेदार के पास पहले से ही विवरणक लाइसेंस नहीं है, वहाँ ऐसे व्यक्ति से भी आवेदन (फार्म सं. 1-एसएफ. नंबर लाइसेंस के लिए आवेदन - ये) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 1)

- \* व्यापार कर्म/कंपनी के पास पहले कमी लाइसेंस था ?  
यदि हाँ, तो नीचे विवरण दे और पुराने लाइसेंस की प्रति अपलोड करे।

एसएसएफ. सं. : .....

जारी करने की तारीख : .....

समाप्त होने की तारीख : .....

नवीकरण या करारे के लिए कारण : .....

- \* शुल्क वा शुश्रावान : नेट वैकिनी/पैसा ड्रापट/एनडीएफटी/आरटीबीएस  
सर्वेक्षक की सभी श्रेणियों के लिए लागू शुल्क

कंपनी/कर्म के किसी भी निर्देशक/साझेदार की सदस्यता का उच्चतम स्तर	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक व्यक्तियों द्वारा देव राशि
फैलो सदस्य	25000
सह-सदस्य	20000
लाइसेंसधारी सदस्य	15000

- \* घोषणा

मैं खलनाल से घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी  
और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

फार्म - आईआरडीए - 4 एलएफ

[विनियम 4 देखें]

आहनतांत्रणीय

चीमा विनियापक और विकास प्राधिकरण

लाइसेंस रंग.....

चीमा अधिनियम, 1938 के अधीन सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस  
(कोर्सोरेट)

कंपनी/कर्म का नाम : .....

पंजीकृत पता : .....

1227 ६७/३-६

को विनिर्दिष्ट शूलक अदा करने और आवश्यक घोषणा करने के उपलब्ध में इसके हारा दिनांक (दिन-माह-वर्ष).....  
से पौंछ वर्ष के लिए सर्वेक्षक/हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए योग्य अधिविषय, 1938 की थारा 64-चूप के अंतर्गत  
प्राधिकृत किया जाता है।

यह लाइसेंस दिनांक (दिन-माह-वर्ष)..... को समाप्त होगा।

निदेशकों/साझेदारों का विवरण उनकी वैयक्तिक लाइसेंस मंजुआ एवं आवंटित विभागों और सदस्यता के सार सहित निम्नलिखित है-

निदेशक/ साझेदार का नाम	फाचर	परीन कर्मी	परीन हास	इंजीनियरिंग	घोटर	प्रियलेनियर्स	फरसल बीमा	एलओपी
निदेशकों/ साझेदारों के लाइसेंस और सदस्यता का विवरण								

हेदराबाद, दिनांक (दिन-माह-वर्ष).....

निदेशकों/साझेदारों का नाम



फोटो  
निदेशक 1



फोटो  
निदेशक 2



फोटो  
निदेशक 3

नाम

नाम

नाम

हस्ताक्षर

कंपनी/फर्म की मुहर

नामित व्यक्ति  
योग्य विनियापक और विकास प्राधिकरण

#### योग्य विनियापक और विकास प्राधिकरण

टिप्पणी :

- यदि इस लाइसेंस का नवीकरण आगे की अवधि के लिए करने को अपेक्षा की जाती है तो विनियमों में बताई गई कियाविधि  
का अनुसरण किया जाएगा तथा नवीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीस दिन  
पहले प्राधिकरण के पास पहुंच जाना चाहिए।

2. यह लाइसेंस किसी भी पंजीकृत बोनाकर्ट के लिए सर्वेषांक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसधारक को प्राप्तिकृत करता है तथा उस कारण से ऐसा कोई भी पहचान-चिह्न अवश्य किसी द्वाकार का संकेत लाइसेंस पर अंकित नहीं किया जाना चाहिए जिससे बोनाकर्ट की पहचान प्रकट हो सकती है।
3. इस लाइसेंस पर कोई भी सुधार तब तक ऐसे नहीं होगा जब तक प्राप्तिकरण के नापित व्यक्ति द्वारा आवश्यक वही किये जाएंगे।

पार्म - आईआरडीए - 5 एलएफ

[विविधम 7(1) देखें]

सर्वेषांक और हानि निवारक के स्वरूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन (पैरिवारिक)

पौंच-सूची

कृपया निम्नलिखित को सुनिश्चित करें :

- 1) संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करना।
- 2) आवेदन की प्रस्तुति के दोगने 'नेट बैंकिंग/प्रीम ड्रॉपस्ट (डोडी)/एन्हैएफटी/आरटीबीएस' के माध्यम से शुल्क (जैसा कि विविधम से उल्लिखित है) का ऑनलाइन भुगतान करना।
- 3) गिले लाइसेंस की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करना।
- 4) नोटरी द्वारा विविध साक्षात्कृत योग्यताओं की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करना।
- 5) आवेदन कार्य की त्रैम सं. 6 के लिए विविध नोटरीकृत शापयत्र (एफिडेविट) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि संलग्न करना।
- 6) 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त 4.5" x 10" आकार का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा आईआरडीए को भेजना जिससे नवीकृत लाइसेंस को हार्ड प्रैटिप्रेविट की जा सके।
- 7) नवीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व फार्म 12 (वार्षिक तौर पर) ऑनलाइन प्रस्तुत करना।
- 8) आवेदन कार्य के साथ हाल ये लिये गये पासपोर्ट आकार के फोटो की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करना।

टिप्पणियाँ : विविधम 7 के साथ पढ़ें

1. सभी लाइसेंसप्राप्त सर्वेषांक लाइसेंस की समाप्ति से 30 दिन पहले ऑनलाइन से आवेदन करें।
2. आवेदनपत्र में प्रश्नों के उत्तर में किये गये किसी भी सुधार या परिवर्तन के लिए आवेदक द्वारा आडान्डर किये जाने चाहिए।
3. आवेदन कार्य के त्रैम सं. 6 के समझ निहित तौर पर एक शोषणा के रूप में लाइसेंसों के नवीकरण के लिए गैर-वैर-न्यायिक स्टैम ऐपर पर विविध नोटरीकृत 10/- रुपये के शापयत्र को स्कैन कराकर संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आवेदन कार्य की सफल प्रस्तुति पर आवेदक को एक डंगल सूचना प्रेषित की जाएगी।
5. प्राप्तिकरण द्वारा आशोधित लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिए प्राप्तिकरण को प्रस्तुत की गई सूचना में किसी भी परिवर्तन की जानकारी प्राप्तिकरण को परिवर्तन होने की तारीख से 15 दिन के अंदर अनिवार्य हो जानी चाहिए।

मैं अनुरोध करता हूँ/करती हूँ कि निम्नलिखित लाइसेंस का नवीकरण पौंच वर्ष को अंतिरिक्त अवधि के लिए करें।

1. वर्तमान लाइसेंस का विवरण

एसएलए सं. (अनिकार्य) :

लाइसेंस का प्रधालो दिनांक :

संपादित की तारीख :

संस्थान की सदस्यता का विवरण :

सदस्यता/पहचान-पत्र संख्या :

पहचान-पत्र जारी करने की तारीख :

अधिकृत सदस्यता का स्तर :

2. सर्वेषांक और हानि निवारक का नाम :

3. स्थायी पता :

## 4. वर्तमान पता :

(यदि वर्तमान पते में परिवर्तन हो तो कृपया प्रमाणात्मक डॉक अपलोड करें)

## 5. आवंटित विधान

विधान	फायर	मरीज कार्यों	मरीज हस्त	हेलीनियरिंग	मोटर	मिसिलेनियर	फरार बीमा	एलओपी
सदस्यता का सार								

6. मैं घोषित करता हूँ / करती हूँ कि लाइसेंस के लिए मेरे विकल्प आवेदन की तारीख के बाद

- i) मैं सहम सेवाधिकार के न्यायालय द्वारा विक्षित नहीं पाया गया हूँ/पायी गई हूँ।
- ii) मैं सहम सेवाधिकार के न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोजन अवधा आपराधिक विश्वासघात अवधा दोषेदारी अवधा जानकारी अवधा कोई भी अवधाक फरने के लिए अवधुरित करने अवधा प्रयास करने का/को दोषी नहीं पाया गया हूँ/पायी गई हूँ।
- iii) मैं किसी भी दोखाड़ी/बेट्टीनारी ने जानबूझकार साझेदारी करने अवधा गुण रूप से सहयोग हेतु अवधा बीमा को किसी भी पर्सनली अवधा बीमाकर्ता के कार्यों की जीव-पड़ताल के समाप्त से संबंधित किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान बीमाकर्ता अवधा बीमाकृत विकल्प के विकल्प नालतबानी करने का/को दोषी नहीं पाया गया हूँ/पायी गई हूँ।
- iv) मेरा लाइसेंस किसी भी समय बीमा नियंत्रक/बीमा विनियोगक और विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त नहीं किया गया है।
- v) मैं घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पास वह घोरता निरंतर जारी है विषके आवार पर मेरा उपर्युक्त लाइसेंस जारी किया गया था।
- vi) सर्वेषण कार्य को कुल संख्या और मामलों की प्रत्येक शेषी में संबद्ध राशि निर्दिष्ट करते हुए वैधता अवधि के पिछले 5 वर्षों के दौरान मेरे द्वारा किये गये सर्वेषण कार्य को वर्ष-वार और कंपनी-वार दशमिकाली कार्यविधान रिपोर्ट के संबंध में एक व्यवस्था संतुलन है।
- vii) सर्वेषण के कार्य के अतिरिक्त, मैं अन्य व्यवसायों से भी संबंधित रहा/रही हूँ जिसका विवरण नीचे दिया गया है :
- अवधा
- मैं किसी अन्य कार्य से संबंधित नहीं हूँ।
- viii) बीमा अधिनियम, 1938 को आरा 42दी मे अनहुता के संबंध मे उल्लिखित किसी भी उपकरण को लागू करते हुए मुझे कभी अवधा नहीं उल्लिखित रहा।

## व्यवसाय की स्थिति :

0 छात्र 0 अवधार्यों 0 कारोबार 0 कर्मचारी 0 सेवा 0 गृहिणी 0 अन्य

## रेजिस्टर का विवरण :

क) क्या आवेदक वर्तमान मे वियोजित है ? हाँ / नहीं : .....

ख) यदि हाँ, तो मीले अद्वा दे और नियोजक से प्राप्त अनापति प्रमाणपत्र (एनओसी) को चैक को हुई प्रति भी संलग्न करें।

नियोजन का नाम	संस्था का स्वरूप	कार्य का स्वरूप	नियोजन की अवधि	
			किस तारीख से	किस तारीख तक
	(सरकारी/अन्य सरकारी/निवी फर्म, बीमा कंपनी, सर्वेषण पर्म, सरकारी सेवा का उपकरण, अन्य)	(बीमा सर्वेषण से संबंधित, अन्य)		

ग) किये गये किसी अन्य कार्य / व्यवसाय का विवरण :

कंपनी/फर्म का नाम	पदनाम	कार्य का स्वरूप

7. यद्या आवेदक 31 मई 1970 को सर्वेक्षक और हानि निश्चिक के रूप में कार्यरत रहा है ?

यदि उत्तर ही है तथा आवेदक के पास बीमा अधिनियम, 1938 तक उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में उल्लिखित कोई भी योग्यता नहीं है, तो आवेदक को बीमा नियमावली, 1939 में दिये गये रूप में और किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी परिवक के सम्मुखियत् तो गई शपथ के तौर पर एक घोषणा अनियार्थतः करवी होगी :

8. शुल्क का भुगतान

नवीकरण शुल्क के रूप में 200/- रुपये का शुल्क अदा किया जाना चाहिए।

यदि लाइसेंस समाप्त होने के बाद अधिकतम छह महीने की अवधि तक प्रस्तुत किया जाता है तो 750 रुपये के ब्रूमार्ने के साथ लाइसेंस शुल्क 200 रुपये होगा (नोटरी द्वारा विधिवत् सञ्चाराकृत योग्यता की फोटोकॉपी सहित)।

9. घोषणा :

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ तथा पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी और विवाह के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है :

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक :

स्थान :

फार्म - आईआरडीए - 6 - एएफ

[विनियम 7(1) देखें]

सर्वेक्षक और हानि निश्चिक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस के नवीकरण हेतु  
फार्म अदावा कंपनी से आवेदन

जौच-मूर्ची

कृपया निम्नलिखित को मुनिष्ठित करें :

- 1) निदेशकों/साझेदारों को संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करना।
- 2) आवेदन की प्रस्तुति के दीरान "नेट बैंकिंग" के बाब्त से शुल्क (जैसा कि विनियमों में उल्लिखित है) का ऑनलाइन भुगतान करना।
- 3) नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सञ्चाराकृत डिप्रो/डिप्लोमा/तकनीकी योग्यता की स्कैन की हुई प्रतिरूप तैयार रखना।
- 4) आवेदन फार्म की क्रम सं. 3 के लिए विधिवत् नोटरीकृत शपथपत्र (एफिडेविट) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि संलग्न करना।
- 5) 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त 4.5" x 10" आकार का अपना पता लिखा दुआ लिफाका आईआरडीए को भेजना ताकि लाइसेंस प्राप्तापत्र की हाई प्रति प्रेषित की जा सके।
- 6) नवीकरण के लिए आवेदन करने से पहले फार्म 12 (वार्षिक तौर पर) ऑनलाइन प्रस्तुत करना।

टिप्पणियाँ :

1. आवेदन 200 रुपये के नवीकरण शुल्क के साथ जो नेट बैंकिंग/डीडी/एनईएफटी/आरटोबीएस के बाब्त से ऑनलाइन अदा किया जाना चाहिए, लाइसेंस की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

1227 ६७/३-७

2. यदि लाइसेंस समाप्ति के बाद अधिकतरप छह महीये वकी अवधि तक प्रस्तुत किया जाता है, तो लाइसेंस शुल्क 200 रुपये होगा तथा इसके साथ 750 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा जो नेट बैंकिंग/डॉडी/एनडीएफटी/आरटीजीएस के प्रश्नपत्र से देय होगा।
  3. आवेदक का व्यापार बोगा अधिनियम, 1938 की बारा 102 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार यह व्यवस्था है कि जो कोई भी उक्त अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाये गये विवरणो अवधारणाओं के किसी भी उपर्युक्त के प्रवृत्तियन के लिए अपेक्षित किसी भी दस्तावेज में आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं करता, वह ऐसी प्रत्येक चूक के लिए 5 लाख रुपये से अधिक दंड के लिए उत्तरदायी तथा जुर्माने से दंडनीय होगा।
  4. कंपनियों के समूह सहित एक फर्म अवधारणाओं के बीच एक ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है जो उसे सर्वेक्षक और हासिल नियांरक के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त बनाएगा।
  5. आवेदन पर किये गये किसी भी सूचार अवधारणावर्तन के लिए आवेदक को आदानप्रदान (इनीशियल्स) करने चाहिए।
  6. कंपनी के नाम के बाद 'बीपा सर्वेक्षक और हासिल नियांरक' जोड़ना चाहिए।
  7. लाइसेंस प्राप्त एक सर्वेक्षक और हासिल नियांरक (एसएलए) एक कंपनी/फर्म से अधिक के लिए नियेशक/साइंटिस्ट के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
  8. सभी नियेशकों के पास सर्वेक्षक लाइसेंस होगा जो विविध लाइसेंसोंका और व्यवसायक होगा।
  9. कंपनी/फर्म का मुख्य उद्देश्य सर्वेक्षण, हासिल नियांरण और संबंधित कार्य करना होगा।
  10. लाइसेंस संबंधी विवरण में कोई भी परिवर्तन प्राप्तिकरण हुआ रा आशोकित लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिए आईआरडीए को विविधत् 15 दिन के अंदर सुधित किये जाने चाहिए। फर्म की ओर से शापथपत्र (एफिडेविट) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  11. यह अपेक्षित है कि नीर-न्यायिक स्टैम रेपर पर विविध नोटरीकृत 10 रुपये का एक प्राप्तवाप्र स्कैम किया जाए तथा आवेदन फार्म की ऋग सं. 6 में निहित तौर पर एक घोषणा के रूप में लाइसेंसों के नवीकरण के लिए संलग्न किया जाए।
  12. आवेदनपत्र की सफलतापूर्वक प्रस्तुति के बाद आवेदक को एक ई-मेल सूचना भेजी जाएगी।
  13. प्राप्तिकरण को प्रस्तुत मूल्याना में कोई भी परिवर्तन होने पर इसको जानकारी प्राप्तिकरण को अनिवार्यतः परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर ही जानी चाहिए।

- ### 1. यर्तमान कॉर्पोरेट लाइसेस का विवरण

एसएलएस.

### सामाजिक को तारीख :

फर्म/कंपनी का नाम :

### एकमें/कंपनी रुका पता :

आवृत्ति विषया

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त साइट्सेस का नवीकरण विद्या वीड़ीओ विमलिखित श्रेणियों तथा निदेशकों/साक्षेदारों को आवश्यित सदस्यता के सार हेतु पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किया जाए;

के लाइसेंस का विवरण और सदस्यता का संग्रह								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. उम्रके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि:

- (i) सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा हमारी कंपनी/फर्म के किसी भी निदेशक / साझेदार को विद्युत नहीं पाया गया है।
- (ii) हमारी कंपनी / फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विधनियोगन अथवा आपराधिक विश्वासघात अथवा दोषेवाची अथवा जालसाची अथवा कोई भी अपराध करने के लिए अवधिरित करने अथवा प्रवास करने का दोषी नहीं पाया गया है।
- (iii) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार किसी भी घोषणाद्वारा बेईमानी में जानबूझकर साझेदारी करने अथवा गृह रूप से सहयोग देने के लिए अथवा बीमा की किसी भी परिस्थिति अथवा बीमा कंपनी के समाप्ति से संबंधित किसी भी न्यायिक कार्यवाही के द्वारा अथवा बीमाकर्ताओं के कार्यों की जाँच-पड़ताल के द्वारा बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति के विकल्प गतिविधियां करने के लिए दोषी नहीं पाया गया है।
- (iv) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार अवधिस्वक नहीं है।
- (v) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा विनियिट आवश्यक-संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (vi) हमारी कंपनी/फर्म के सभी निदेशकों/साझेदारों के पास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा विनियिट स्वयं से आवश्यक योग्यताएँ और व्यावहारिक प्रणिकाण है।
- (vii) हमारी कंपनी/फर्म के सभी निदेशकों/साझेदारों ने प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा व्यावहारिक परिक्षा उत्तीर्ण की है।

(उपर्युक्त घोषणा ऑनलाइन लाइसेंसीकरण प्रक्रिया में प्रोपर्टीप्लेट करेंगी)

4. यह घोषणा की जाती है कि फर्म का प्रत्येक निदेशक/साझेदार जो उस समय एक निदेशक/साझेदार या जब उपर्युक्त लाइसेंस जारी किया गया था तथा जो अब निदेशक/साझेदार है, अधिनियम की वारा 64-वें को उपर्यारा (1) के खंड (छोटी) की अपेक्षाएँ लगातार पूरी कर रहा है।

यह भी घोषणा की जाती है कि जिन सभी निदेशकों और साझेदारों के पते और जमतिविवादी प्रस्तुत की गई हैं वे :

- क) 26 अक्टूबर 1968 को संवेदक और हानि निवारक के स्वयं वे कार्यरत रहे हैं, अथवा
- ख) इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में एक मान्यताप्राप्त विद्युतिकालय से प्राप्त उपायि (डिप्रो) रखते हैं, अथवा
- ग) भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट्स संस्थान अथवा भारतीय लागत और कार्य (बर्कर्स) लेन्ड्रिंग कार संस्थान के फैलो अधिकारी सदस्य हैं, अथवा
- घ) चौथांशिक योग्यताएँ रखते हैं अथवा किसी भारतीय विद्युतिकालय अथवा बीमा से संबंधित किसी संस्थान की डिप्रो या डिप्लोमा रखते हैं, अथवा
- ङ) भरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार मान्यताप्राप्त बीमा ये डिप्लोमा रखते हैं, अथवा
- च) विषय 56-ए में डिल्लीखित लक्नोकी योग्यताओं में से कोई योग्यता रखते हैं।

(उपर्युक्त घोषणा ऑनलाइन लाइसेंसीकरण प्रक्रिया में प्रोपर्टीप्लेट करेंगी)

|व्याप्र दे 1. ऐसे प्रत्येक निदेशक / साझेदार के मामले में जो लाइसेंस के लिए यिन्हें आवेदन की तारीख को साझेदार / निदेशक नहीं था :-

- (i) जहाँ वह उपर्युक्त मद (क) के अंतर्गत होने का दावा करता है तथा उपर्युक्त (ख) से (च) तक की किसी भी मद के अंतर्गत होने के लिए पात्र नहीं हैं, वहीं बीमा विधायकनी, 1939 में दिये गये रूप से तथा किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी परिवक के समझ शाष्ट्र-युहण किये गये रूप में एक घोषणा प्रेषित की जानी चाहिए; एवं जहाँ वह उपर्युक्त (ख) से (च) तक की किसी भी मद के अंतर्गत होने का दावा करता है वहीं या तो डिप्लोमाओं/प्रमाणपत्रों की मूल प्रतिरूप उनमें से प्रत्येक की साक्षात्कृत प्रति के साथ अधिकारी मूल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र येजे जाते हैं, वहीं

उन्हें अवलोकन के पछात् लोटाया जाएगा, परंतु ऐसी मूल प्रतिवेदी के रूपों जाने अंतरा शक्तिगत होने के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी।

#### 5. निदेशकों का विवरण

क) निदेशक/साझेदार का नाम :

एसएसएस रमेश :

समाचार की तारीख :

संस्थान की सदस्यता का विवरण :

सदस्यता पहचान-पत्र संख्या :

पहचान-पत्र जारी करने की तारीख :

आवंटित सदस्यता का स्तर :

नाम :

पता :

#### आवंटित विभाग

विभाग	फायद	भरोन कार्यों	भरोन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	प्रिसिलेनियर्स	फसल बोमा	एलओपी
लाइसेंस का विवरण और सदस्यता का स्तर								

ध्यान दे : जहाँ किसी निदेशक/साझेदार के पास यहले से ही वैयक्तिक लाइसेंस नहीं है, वहाँ ऐसे व्यक्ति से भी आवेदन (फार्म रम. 1-एफ- नवे लाइसेंस के लिए आवेदन से) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

#### पिछले गोजगार का विवरण

नियोक्ता का नाम	संगठन का स्वरूप	कार्य का स्वरूप	नियोजन की अवधि	
			किस तारीख से	किस तारीख तक
	(सरकारी/अर्द-सरकारी/निजी कार्य, बोमा कंपनी, सर्वेक्षक कार्य, सरकारी श्रेव का उपकार, अन्य)	(बोमा सर्वेक्षण से संबंधित, अन्य)		

#### 6. घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ तथा पुष्ट करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण येरी अधिकतम जानकारी  
और विभास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

(डिजिटल हस्ताक्षर)

कंपनी/कार्य का नाम :

कारबोरेट लाइसेंस संघरा :

कंपनी/कार्य की मुहर

कार्य - आर्द्धआरट्रोट - 7 एलएफ

[विविधम् 7(3) देखें]

अहसांतरणीय

शीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

लाइसेंस सं. ....

शीमा अधिनियम, 1938 के अद्योन सर्वेषुक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस का नवीकरण (पैरिलाक)

श्री/ श्रीमती/कुमारी.....

पता.....

"जो ..... के/की एकमात्र स्वामी के रूप में  
कार्यरत है और संस्थान से विनकी सदस्यता संख्या ..... है, द्वारा विनिर्दित शुल्क अदा किये जाने तथा आवश्यक घोषणा  
की जाने के उपलब्ध में सर्वेषुक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए प्रदत्त उनके लाइसेंस  
से ..... दिनांक ..... का नवीकरण एतद्वारा ..... (दिन).....  
(माह)..... तक किया जाता है।

नाम..... को निम्नलिखित विभागों और श्रेणी का आवंटन किया जाता है :

विभाग	फायर	परीन कार्गो	भरीन हल	इंजीनियरिंग	पोटर	भिसिलेनियर्स	फसल कीमा	एलओपी
सदस्यता का संर								

हेटराकाद, दिनांक (दिन-माह-वर्ष).....

लाइसेंसवारक के इसावार.....

नामित व्यक्ति  
शीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

शीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

टिप्पणी :

1. यदि इस लाइसेंस का नवीकरण आगे को अवधि के लिए करने की अपेक्षा की जाती है तो विविधमों में बताई गई कियाविधि  
का अनुसरण किया जाएगा तथा नवीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीस दिन  
पहले प्राधिकरण के पास पहुँच जाना चाहिए।
2. यह लाइसेंस किसी भी पंजीकृत शीमाकर्ता के लिए सर्वेषुक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसवारक  
को प्राधिकरण करता है तथा इस शीमाकरण से ऐसा कोई भी पहचान-शिफ्ट अवधा किसी प्रकार का सकेत लाइसेंस पर अंकित  
नहीं किया जाना चाहिए जिससे शीमाकर्ता को पहचान प्रकट हो सकती है।
3. इस लाइसेंस पर कोई भी सुधार तब तक की जाएगा जब तक प्राधिकरण के नामित व्यक्ति द्वारा आवश्यक (इनीशियल्स)  
नहीं किये जाएंगे।

1227/97/13-8

फार्म - आईआरडीए - ४ एलएफ

[विनियम ७(३) देखें]

अहसांतरणीय

चीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

लाइसेंस सं .. . . . .

चीमा अधिनियम, 1938 के अधीन सर्वेषुक और हानि नियारिक के रूप में कार्य करने के लिए  
लाइसेंस का नवीकरण (कौरयोरेट)

नाम : .. . . . .

पता : .. . . . .

को विनियिट शुल्क अदा करने तथा आवश्यक चोषणा करने के उपलब्ध ये एतद्वारा चीमा अधिनियम, 1938 की वारा ६४-ग्रन्त के अधीन दिनांक (दिन-माह-वर्ष) .. . . . . से पौर्व वर्ष के रिए सर्वेषुक और हानि नियारिक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह लाइसेंस (दिन-माह-वर्ष) .. . . . . को समाप्त होगा।

विदेशकों/साझेदारों को निम्नलिखित विभागों और श्रेणियों का आवंटन किया जाता है :

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	फायर	मरीज कागो	मरीज हल	इंजीनियरिंग	चौटर	पिसिलेनियम	फरस चीमा	एलओपी
निदेशक के लाइसेंस और मदम्बता का विवरण									

हैदराबाद, दिनांक (दिन-माह-वर्ष) .. . . . .

लाइसेंसधारक के हस्ताक्षर .. . . . .

फर्म/कंपनी की मुहर .. . . . .

नामित अधिकारी  
चीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

## बीमा विनियोगक और विकास प्रारंभिकरण

टिप्पणियाँ :

- यदि इस लाइसेंस का नवीकरण आगे की अवधि के लिए करने की अपेक्षा की जाती है तो विनियोग में बताई गई कियाविद्य का अनुसरण किया जाएगा तथा नवीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले प्रारंभिकरण के पास पहुँच जाना चाहिए।
- यह लाइसेंस किसी भी पंजीकृत बोधकर्ता के लिए संवेदक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसधारक को प्रारंभिकत करता है तथा इस कारण से ऐसा कोई भी पहचान-सिफ्ट अथवा किसी प्रकार का संकेत लाइसेंस पर अंकित नहीं किया जाना चाहिए जिससे बोधकर्ता की पहचान प्रकट हो सकती है।
- इस लाइसेंस में कोई भी सुधार तक तक वैय नहीं होगा जब तक प्रारंभिकरण के नापित व्यक्ति द्वारा आशङ्का (इनीशियल्स) नहीं किये जाएंगे।

फार्म - आईआरडीए - 9

[विनियम 10(1) देखें]

लाइसेंस की अनुलिपि (द्विंशिकेट) के लिए आवेदन

मैं/हम खेदसहित आपको सूचित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा लाइसेंस से \_\_\_\_\_ विसको समाप्त की तारीख (दिन-माह-वर्ष) \_\_\_\_\_ है,  
 यह गवाह है       नष्ट किया गया है       फटा-फटा है

जो निम्नलिखित परिस्थितियों में घटित हुआ है .....

लाइसेंस की अनुलिपि (द्विंशिकेट) जारी करने के लिए रु. 5/- का शुल्क भी अदा किया गया है।  
 (शुल्क का भुगतान : नेट बैंकिंग/डीडी/एनडीएफटी/आरटीबीएस के माध्यम से)

अतः मैं/हम प्रारंभिकरण से अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि कृपया ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियों के आलोक में लाइसेंस की एक अनुलिपि (द्विंशिकेट) जारी करें।

## चौथा

मैं/हम सत्यानिका से घोषित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं और पुष्ट करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

यदि मूल लाइसेंस का पता लग जाता है, तो मैं/हम आपको आम्भासन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि वह प्रारंभिकरण को लौटा दिया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

फार्म - आईआरडोए - 10-एलएफ

[विनियम 10(3) देखें]

अहसतांतरणीय

लाइसेंस सं .. . . . .

लाइसेंस की अनुलिपि

नाम.....पता : यकान सं .. . . . . गाली..... नगर/ज़िला.....

राज्य.....पिन कोड.....

को केवल पौंच रखये अदा करने तथा लाइसेंस के लो जाने/नष्ट किये जाने/कटे-फटे होने की आवश्यक चोशणा करने के उपलब्ध में एवं द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की बारा 64-एस के अधीन लाइसेंस की समाप्ति तक शेष अवधि के लिए संवेदक और हानि निर्धारिक के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए प्राप्तिकरण किया जाता है।

यह लाइसेंस दिनांक (दिन-माह-वर्ष)..... को समाप्त होगा।

संवेदक और हानि निर्धारिक निम्नलिखित विभागों के लिए कार्य करना जारी रखेगा :

विभाग	फायर	चरीब कार्गो	चरीब हल	इंजीनियरिंग	चॉटर	विसिलेनियर	फसल बीमा	एलओपी
भ्रेणी								

हेटराबाद, दिनांक..... 20.....

लाइसेंसधारक के हस्ताक्षर.....

फार्म/कंपनी की मुहर.....

नामित व्यक्ति  
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

टिप्पणियाँ :

1. यदि इस लाइसेंस का नवीकरण आगे की अवधि के लिए करने की अपेक्षा की जाती है तो विनियमों में बताई गई कियाविव का अनुसरण किया जाएगा तथा नवीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण के पास पहुंच जाना चाहिए।
2. यह लाइसेंस किसी भी विशेषता के लिए संवेदक और हानि निर्धारिक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसधारक को प्राप्तिकरण करता है तथा इस कारण से ऐसा कोई भी पहचान-चिह्न अवधा किसी प्रकार का संकेत लाइसेंस पर अंकित नहीं किया जाना चाहिए जिससे बीमाकर्ता की पहचान प्रकट हो सकती है।
3. इस लाइसेंस में कोई भी सुधार तब तक वैध नहीं होगा जब तक प्राधिकरण वे नामित व्यक्ति द्वारा आमदार (इनीशियल्स) नहीं किये जाएंगे।

प्रार्थ - आईआरडीए - 12

[विनियम 19(ख) देखें]

## प्राधिकरण को विवरणी की वार्षिक प्रस्तुति के लिए फॉर्मेट

1. सर्वेक्षक का नाम :

2. लाइसेंस का विवरण :

कर्तनान प्रमाणपत्र सं. :

समाप्ति की तारीख (दिन-माह-वर्ष) :

3. पिछले 1 वर्ष के दौरान प्राप्त सोन्यताएँ (प्रमाण के लिए डॉक अपलोड करें)

क) शैक्षणिक / व्यावसायिक :

ख) बीमा :

ग) प्राप्त प्रशिक्षण :

(उपर्युक्त सभी का स्वरूप और अवधि बताएँ)

4. पिछले वित्तीय वर्ष में किये गये सर्वेक्षणों की संख्या और बीमाकर्ताओं के नाम :

20 \_\_\_\_\_ - 20 \_\_\_\_\_

बीमाकर्ता	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	पोटर	विसिलेनियर्स	फसल बीमा	एलओपी	कुल
क ख ग घ .....									

5. पिछले वित्तीय वर्ष में नियारित हानियों की मात्रा :

20xx-20xx

फायर	सं.	मरीन कार्गो	सं.	मरीन हल	सं.	इंजीनिय रिंग	सं.	पोटर	सं.	पिसिले - नियर्स	सं.	फसल बीमा	सं.	एलओपी	सं.	
>10 लाख		>1 लाख		>10 लाख		>2.5 लाख		> 50,00 0		>1 लाख				>10 लाख		
1-10 लाख		25,00 0- 1 लाख		2.5- 10 लाख		50,000 - 2.5 लाख		10,00 0- 50,00 0		25,00 0- 1 लाख				1-10 लाख		
0-1 लाख		0- 25,00 0		0-2.5 लाख		0- 50,000		0- 10,00 0		0- 25,00 0				0-1 लाख		
कुल																

122795/13-9

## 6. घोषणा

मैं, ..... सत्यनिक्षा से घोषित करता हूँ / करती हूँ और पुस्ति करता हूँ/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विचास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक :

स्थान :

फार्म - आईआरडीए - 13

प्रशिक्षणार्थी के रूप में नामांकन के लिए निर्धारित फार्मेट

(विनियम 16(1))

अनुदेश :

- 1) संस्थान द्वारा जारी किये गये छात्र सदस्यता यहांन-वर की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 2) नामांकन के लिए आवेदन के साथ प्रशिक्षक/सर्वेषुक फार्म का प्रशाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3) नामांकन के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों पर आईआरडीए द्वारा कार्रवाई प्रशिक्षणार्थी द्वारा चयनित प्रशिक्षक/सर्वेषुक फर्म से प्रशाणपत्र की ऑनलाइन प्रस्तुति प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी।
- 4) प्राधिकरण को प्रस्तुत जो गई सूचना में किसी भी परिवर्तन की जानकारी अनिवार्यतः प्राधिकरण को परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर दी जानी चाहिए।

आवेदक का विवरण

1. नाम :

2. संस्थान की सदस्यता का विवरण :

छात्र सदस्यता संघर्षा :

3. स्थायी पता :

4. वर्तमान पता :

5. संपर्क का विवरण

फोन कार्डालिय	फोन निवास	फैक्टरी	मोबाइल	ई-मेल आइडी	वैकल्पिक ई-मेल आइडी

6. जन्मतिथि :

7. राष्ट्रीयता :

४. पिछले 1 वर्ष में प्राप्त चोरीताएँ (सबूत के लिए डॉक्युमेंट अपलोड करें)

क) शैक्षिक / व्यावसायिक :

३८४

३) आज्ञा प्रतिक्रिया

(उपर्युक्त सभी चार स्वरूप एवं अवधि लिखें)

## २. अखण्ड की स्थिति :

० लाज ० अवसाधी ० कारोबार ० कर्मचारी ० सेवा ० गतिशील ० अन्य

## 10. शोजायाप का विवरण -

क) क्या आवेदक वर्तमान में नीतियों का उल्लंघन कर रहा है? हाँ / नहीं

एवं) चर्चित हैं, तो नीचे विवरण प्रस्तुत करें और नियोक्ता से प्राप्त अनापसि एवं (एनओसी) की स्कैम की हुई प्रति भी संलग्न करें।

नियोजन का नाम	संस्था का स्वरूप	कार्य का स्वरूप	नियोजन की अवधि	
			किस तारीख से	किस तारीख तक
(सरकारी/ सरकारी/निजी कर्प, बीमा कंपनी, सर्वेक्षण कर्प, सरकारी शेज का उपकरण, अन्य)	अर्द-	(बीमा सर्वेक्षण से संबंधित, अन्य)		

ग) किये गये किसी अन्य कार्ब / स्वप्नात्म का विवरण :

फर्म का नाम	पदनाम	कार्य का स्वरूप

11. विभागों के लिए विकल्प बिनाे आए प्रणिष्ठित होना और सर्वेक्षक का लाडलौस प्रदान किया जाना चाहते / चाहती है

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_  
6. \_\_\_\_\_ 7. \_\_\_\_\_ 8. \_\_\_\_\_

## 12. प्रशिक्षण देनेवाले सर्वेक्षक का नाम :

एसाएलएसी

### **संस्थान को सदस्यता का विवरण :**

सदस्यता पहचान-पत्र संख्या :

पहचान-पत्र जारी करने की सारी

आर्बाटिंग लादस्यता का स्तर :

वर्तमान पता :  
संपर्क का विवरण

फोन कार्डिनल	फोन निवास	फैक्स	मोबाइल	ई-मेल आइडी	वैकल्पिक ई-मेल आइडी

## 13. घोषणा

मैं सत्याग्रह से घोषणा करता/करती हूँ तथा पुस्ति करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विज्ञास के अनुसार सही है।

आवेदक के इस्तम्भर

दिनांक :

स्थान :

## फार्म-आईआरडीए-14

प्रशिक्षण देने के लिए स्वीकृति देनेवाले प्रशिक्षक सर्वेश्वक से प्रमाणपत्र का फार्मेट (विविधम 16(1))

## पहलवपूर्ण अनुदेश :

यह फार्म प्रशिक्षणार्थी सर्वेश्वक के नामांकन के संबंध में स्वत्त्वात्मत सूचना प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षक द्वारा भरा जाना आवश्यक है।

मैं \_\_\_\_\_ (सर्वेश्वक/सर्वेश्वक फर्म का नाम) सर्वेश्वक के लाइसेस सं. \_\_\_\_\_ का धारक तथा  
 सदस्यता का विवरण \_\_\_\_\_ यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी/मेरी स्वीकृति देनेवाले प्रशिक्षणार्थी सर्वेश्वक के रूप में प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया है :  
 (i) \_\_\_\_\_ (ii) \_\_\_\_\_ (iii) \_\_\_\_\_ (iv) \_\_\_\_\_ (v) \_\_\_\_\_  
 (vi) \_\_\_\_\_ (vii) \_\_\_\_\_ (viii) \_\_\_\_\_

मैंने शैक्षिक योग्यताओं से संबंधित सूचना का सत्यापन किया है तथा मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि यह सूचना चार्य और सही है। मैं सरकान का सदस्य हूँ तथा दीया विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा उन विभागों के लिए जारी किया गया ऐसे सर्वेश्वक का लाइसेस धारण करता हूँ जिनके लिए मैं व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा हूँ।

मैं अपनी अधिकतम जानकारी और सापर्क के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण देने का बचन देता हूँ तथा प्रशिक्षणार्थी द्वारा रखे जानेवाले अधिसूचितों के अध्यार पर सापाहिक आधार पर उनके कार्यनिवादन का परवेशण करने एवं नियारित रूप में और तरीके से लिखाई रिपोर्टों की प्रस्तुति के प्राप्ति से प्रगति के बारे में दीया विनियामक और विकास प्राधिकरण को सूचित करते रहने के लिए स्वीकृति देता हूँ।

सर्वेश्वक का लाइसेस सं.:

समाप्ति की तारीख :

दिनांक :

पता :

संपर्क :

फोन कार्यालय	फोन निवास	फैक्स	मोबाइल	ई-मेल आइडी	वैकल्पिक ई-मेल आइडी

प्रशिक्षक के हस्ताक्षर :

दिनांक :

स्थान :

फार्म-आईआरडीए-15

तिथाही रिपोर्ट - दैनिक ढायरी के लिए फार्मेट

(विनियम 16(3))

महल्लपूर्ण अनुदेश :

दैनिक ढायरी के लिए फार्मेट

(प्रशिक्षण देनेवाले सर्वेक्षक द्वारा रखा जाना चाहिए और तिथाही आवार पर सॉफ्ट रूप में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

समाप्त तिथाही के लिए रिपोर्ट : \_\_\_\_\_ (माह/वर्ष)

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम :

2. पता :

3. संपर्क :

फोन कार्यालय	फोन निवास	फैक्स	मोबाइल	ई-मेल आइडी	वैकल्पिक ई-मेल आइडी

4. प्रशिक्षण देनेवाले सर्वेक्षक/सर्वेक्षक फर्म का नाम :

वर्तमान लाइसेंस नं. :

समाप्त होने की तारीख :

सदस्यता का विवरण

विभाग	फायर	मरीन बोर्ड	मरीन हस्त	इंजीनियरिंग	मोटर	विविलेनियर्स	फसल बीमा	एनओपी
सदस्यता का स्तर								

1227 95713-10

प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तारीख :

विभाग	दिनें गये प्रशिक्षण को विषय-वस्तु (सॉफ्ट सर्वयोग करने और जहाँ संभव हो, समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)

प्रशिक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

फार्म-आईआरडीए-16  
प्रशिक्षण समापन प्रमाणपत्र  
(विनियम 16(3))

पहल्यपूर्व अनुदेश :

प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

एसएलए सं. :

<<प्रशिक्षक का नाम>>

<<प्रशिक्षक का प्रता>>

समाप्ति की तारीख :

<<प्रशिक्षक की चोरायता>>

सदस्यता यहान-यज सं. :

सदस्यता का स्तर.....

सर्वेक्षक और हानि निवारिक

<विभागों की सूची जिनमें प्रशिक्षक लाइसेंस प्राप्त है-

प्रधानित किया जाता है कि श्री/सुश्री..... ने येरे पास 12 महीने/6 महीने की अवधि के लिए <तारीख> से <तारीख> तक <चेक बॉक्स सहित विभागों की सूची> विभाग/विभागों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने सर्वेक्षण और हानि निवारिण करने के लिए <विभाग> के विभिन्न पहलुओं को सीखा। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान ये विभिन्न कार्यों को निपटाया जाता रहा जिनमें परिवहनी, ईमानदार और समझदार हैं। भेड़ी राश में ये सर्वेक्षण की सभी प्रविधियों में पूरीतः कुशल हैं तथा उनके उक्खल भवित्व के लिए भेड़ी शुभकालनाएँ।

<अतिरिक्त टिप्पणी, चादि कोई हो-

<प्रशिक्षक का नाम>

सर्वेक्षक और हानि निवारिक

एसएलए संख्या ..... समाप्ति की तारीख.....

सदस्यता संख्या..... सदस्यता का स्तर .....

## फार्म-आईआरडीए-17 एफ

विविधम् [3(2)(सी)]

आशोकित लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन का फार्मेट

वैयक्तिक सर्वेषांक

नहुल्यपूर्ण अनुदेश :

प्राधिकरण को प्रस्तुत सूचना में कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को अधिकारीतः परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर सूचित किया जाना चाहिए, प्रमाणास्वरूप दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें।

## ० नाम

फर्म/कंपनी का नाम (जहाँ भी लागू हो)..... दिव्यांशी.....

० एसएलए संख्या ..... समर्पित का दिनांक ..... सदस्यता वहुधारन संख्या .....  
सदस्यता का स्तर .....

## ० बर्तमान पता :

पता 1 : ..... पता 2 : ..... पता 3 : .....

नगर/शहर/ग्राम : ..... जिल्हा : ..... राज्य : .....

देश : ..... दिन कोड : .....

टिप्पणी : .....

लाइसेंसदारी के नाम में परिवर्तन

० एकमात्र स्वाधिकार वाले फर्म के निम्नलिखित का नाम :

फर्म का नाम : ..... दिव्यांशी

.....

० अतिरिक्त विभाग प्रदान करना :

विभाग	फायर	मरीन लार्गो	परोल हल	इंजीवियरिंग	चोटर	प्रिमिलेनियर	फसल बीचा
एलओपी	✓						
स्थन करें	○	○	○	○	○	○	○
○							

० विभागों का विविध :

विभाग करें	बर्तमान विभाग	नये विभाग का विभाग करें	लाइसेंस की धैर्यी (श्रेणीकरण के अनुसार)

टिप्पणी : ..... (व्यापक इसे हटा दें क्योंकि हम विभागों के विषय में प्रतिक्रिया समाप्त करते हैं)

० पहले से जारी किये गये लाइसेंस में मुख्य (जहाँ जारी किये गये लाइसेंस में मुद्रण संबंधी त्रुटि हो)

- संस्थान द्वारा आवृत्ति सदस्यता के स्तर में परिवर्तन

..... स्तर से ..... स्तर पे (इस प्रकार का/के परिवर्तन और उसके लिए कारण निर्दिष्ट करते हुए संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की सौंप्त प्रति संलग्न जारे)

- प्रैविक सूचना में परिवर्तन :

फोन सं. (निवास) ..... फोन सं.

(कार्यालय) .....

मोबाइल सं. ....

ई-मेल : ..... प्रैक्टिशन ई-मेल

: .....

टिप्पणी : .....

आवेदक के हस्ताक्षर :

स्थान :

दिनांक :

फार्म-आईआरडीए-18

विनियम [4(1)(xi)]

आशोकित लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन का फॉर्मेट

कॉरपोरेट सेवक

प्रहृष्टपूर्ण अनुदेश :

प्राधिकरण को प्रसुत सूचना में कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को अनियावर्त: परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर सूचित किया जाना चाहिए, प्रपाणदबलम दस्तावेजों की प्रतिव॑ संलग्न करे।

आशोकित के प्रकार का चयन करे

- नाम

फर्म/कंपनी का नाम .....

टिप्पणी : .....

- कॉरपोरेट लाइसेंस संख्या .....

समाप्त होने की तारीख

- कॉरपोरेट/पंजीकृत कार्यालय का पता :

पता 1 : ..... पता 2 : .....

पता 3 : .....

नगर/ज़िला/ग्राम : ..... ज़िला : ..... राज्य

देश : ..... रिंग कोड : .....

टिप्पणी : .....

- शाखा कार्यालय का पता :

शाखा का चयन करे

पुरी

चातारा

नासिक

पता 1 : ..... पता 2 : .....

पता 3 : .....

नवार/शाहर/युवाओं :	जिला :	राज्य
देश :	प्रिन कोड :	
टिप्पणी :		
○ निदेशक/साझेदार के विवरण में परिवर्तन :		
○ नवे निदेशक/साझेदार को शामिल करे वर्तमान निदेशक/साझेदार को बदले	○ चर्चान निदेशक/साझेदार को हटाएं	○
○ कर्मचारी में परिवर्तन :		
○ नये कर्मचारी/कर्मचारियों को शामिल करे चर्चान कर्मचारी/कर्मचारियों को हटाएं		
○ शेषरखारिता के स्वरूप और प्रबलक (प्रबलकों) में परिवर्तन		
○ यहां से जारी किये गये लाइसेंस में मुद्रार (जहाँ जारी किये गये लाइसेंस में मुद्रण की त्रुटि हो) :		
○ निदेशक (निदेशकों/साझेदार (साझेदारों) को संस्थान द्वारा आवंटित सदस्यता के स्तर में परिवर्तन स्तर से ..... स्तर में (इस प्रकार का/के परिवर्तन और उसके लिए कारण निर्दिष्ट करते हुए संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की सीधी प्रति संतरन करे)		
○ कॉर्पोरेट संकेतक द्वारा जाखा कार्यालय/कोई अन्य कार्यालय खोलना		
○ ऐप्पलिक सूचना में परिवर्तन :		
फोन सं. (निवास) ..... फोन सं.		
(कार्यालय) ..... मोबाइल सं. ....		
ई-मेल : ..... ई-मेल		
टिप्पणी :		

निदेशक/साझेदार के हस्ताक्षर :

कंपनी की मुद्रा

दिनांक :

स्थान :

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन II] /4/161/12/असा.]

1227 ७/१३-१

## INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

## NOTIFICATION

Hyderabad, the 13th March, 2013

## INSURANCE SURVEYORS AND LOSS ASSESSORS (LICENSING, PROFESSIONAL REQUIREMENTS AND CODE OF CONDUCT) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2013

E. No. IRDA/Reg./18/76/2013.—In exercise of the powers conferred by sections 42D, 64UM and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with section 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, to further amend the Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) Regulations, 2000, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) (Amendment) Regulations, 2013  
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

## 2. Definitions:

- (i) In Regulation 2, the following new clauses shall be inserted:

(ca) Associate member: Any Licentiate Member holding valid Surveyor and Loss Assessor license continuously for a period not less than 8 years and upon fulfillment of other criteria set out in Regulation 14A(1)(ii).

(cb) Corporate surveyor means company incorporated under Companies Act 1956 or Firm formed under Partnership Act 1932, including LLP (Limited Liability Partnership) incorporated under LLP Act 2008, licensed to act as Surveyor and Loss Assessor.

(da) Fellow Member:

Any Associate Member holding valid Surveyor and Loss Assessor license continuously for a period not less than 8 years and fulfills other criteria set out in Regulation 14A(1)(ii).

(ea) "Institute"- means the Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA) promoted by IRDA under section 14 of IRDA Act, 1999 and incorporated under Section 25 of the Companies Act, 1956.

(fa) Licentiate Member: Any person holding a valid license issued by the Authority to act as surveyor and loss assessor, and fulfills other criteria set out in Regulation 14 A(1) (ii).

(fb) "Member"- means the member of the Institute and includes Student member, Licentiate member, Associate member and Fellow member.

(fc) "Surveyor and Loss Assessor" – means a person who is a member of the Institute and licensed by the Authority to act as Surveyor and Loss Assessor.

(fd) "Student Member" means any person who is member of Institute and enrolls himself as trainee with IRDA for seeking practical training to obtain a license to act as Surveyor and Loss Assessor.

(fe) Membership level of a surveyor means level allotted by the institute to the member, based on the criteria set out in Regulation 14A of these Regulations.

### 3. LICENSING PROCEDURE

(i) Regulation 3, is substituted by the following:

- (1) Every person who is a student member of the Institute and intending to act as a surveyor and loss assessor in respect of general insurance business shall apply to the Authority for grant of license in FORM-IRDA-1-AF as given in the Schedule to these regulations.
- (2) The Authority while considering the application made under sub-regulation (1) for grant of license as a SLA, take into consideration all matters relating to the duties, responsibilities and functions of surveyor and loss assessor and satisfy itself that the applicant is a fit and proper person to be granted a license. In particular and without prejudice to the foregoing, the Authority shall satisfy itself that the applicant, satisfies all the requirements of section 64 UM read with section 42 D of the Act and rule 56 A of Insurance Rules, 1939 and fulfills the eligibility criteria set out in Regulation 3A of these regulations.
  - a. The applicant shall pay fees applicable to the Licentiate level of membership, through online net banking /RTGS/NEFT/Demand Draft (in favour of IRDA payable at Hyderabad) and furnish evidence of payment.
  - b. Documents to be enclosed ( can be submitted online followed by hard copy ) :
    - a) Application in Form- IRDA- 1AF duly completed in all respects.
    - b) Copy of Membership certificate issued by the Institute, indicating Student Membership No, Date of Issue etc
    - c) Copy of recent photo- 1
    - d) Copy of PAN
    - e) Copy of Proof of residence
    - f) Proof of qualification
    - g) Copy of Training completion certificate
    - h) Copy of quarterly reports( 4 quarters)
    - i) Copy of mark sheet in proof of having passed the Surveyor examination as provided under Regulation 16 of these regulations.
    - j) No Objection Certificate from employer, if employed
    - k) Affidavit as stated under sl no 3 of FORM- IRDA-1AF ( to be uploaded in soft form at the time of submission of application through online )
    - l) Self-addressed envelope of 4.5" x 10" with Rs.40 postage stamp
    - m) Demand draft, in case fee is paid by DD
    - n) Details of fee payment by RTGS/NEFT, if paid through RTGS/NEFT
    - o) Any other document/information that may be required by the Authority from time to time  
(Copies of documents sl no c to j shall be notarized)
  - c. Disclosures:
    - i) Submit a declaration that he/she shall file with the Authority, any changes in the information submitted to the Authority within 15 days of such change and apply in the FORM-IRDA-17 AF as given in Schedule to these Regulations, for grant of modified license. The license issued by the Authority (in original) shall be surrendered at the time of application for grant of modified license.
    - ii) submits such other information as may be required by the Authority from time to time
  - (3) The Authority on being satisfied that the applicant is eligible for grant of licence, shall grant the same in FORM-IRDA-2-LF as given in the Schedule to these regulations, mentioning the level of membership granted by the institute, particular class/department or subject of general insurance business namely, fire, marine cargo, marine hull, engineering, motor, miscellaneous, Crop Insurance and loss of profit allotted based on their technical/professional/Insurance qualification and other qualifications as specified under Regulation 3(2) of IRDA Surveyor Regulations

**3A Eligibility Criteria****i) Qualifications (one or more of the following):**

- Qualifications stated under Section 64UM read with Section 42 D of the Insurance Act 1938.
- Additional technical qualifications as stated under Rule 56 A of Insurance Rules, 1939
- Post Graduate Diploma in General Insurance from I.I.R.M.
- B.Sc in Agricultural Science from a recognized university
- Additional technical qualification as may be specified by the Authority from time to time.
- Shall be a "Student/Member" of the Institute.

**ii) Training :**

- Practical training for a period not less than twelve months as specified in Regulation 16 (1)
- Such other training which the authority may specify from time to time.

*Explanation: Any person who has undergone the requisite training for obtaining a license to act as surveyor and loss assessor, as stated under (ii) (a) above may undergo such other training as may be specified by the Authority.*

**iii) Examination:**

*Passing of relevant paper/s of Surveyor Examination conducted by Insurance Institute of India or the Institute authorised by IRDA.*

*Explanation: Any person who has successfully completed the examination for obtaining a license to act as surveyor and loss assessor, need not undertake such examination as stated under (iii) above at any point of time.*

**3B Allotment of department/area of work at the time of grant of license to act as Surveyor and loss assessor shall be as specified by IRDA from time to time**

(4) A surveyor and loss assessor, whose licence has been cancelled or suspended for any reason, may submit an application for issuance of licence, after the expiry of three years from the date of such cancellation or suspension, and, such an application shall be treated as a fresh case, and, accordingly, the applicant shall satisfy all the requirements of sub-regulation (2).

(5) A surveyor and loss assessor shall be subject to level of membership in the Institute as specified in Chapter V of these regulations

(6) A license issued before the commencement of these regulations, by IRDA shall be deemed to have been issued in accordance with these regulations.

**(ii) Regulation 4, is substituted by the following:****(I) Application for grant of fresh corporate license and related matters**

(i) Where the applicant is an applicant for corporate surveyor, the Authority shall satisfy itself that the applicant shall submit the application complete in all respects, satisfy all the applicable requirements of section 64UM read with section 42D of the Act and rule 56A of the Insurance rules, 1939 and shall conform mutatis-mutandis to the eligibility criteria set out in Regulation 3 A of these regulations.

*Provided that none of the directors or partners suffers from any of the disqualifications mentioned in section 42 D of the Insurance Act, 1938 read with Section 42(4) of the Act.*

(ii) There shall be at least two directors/partners in the company/firm at any point of time who are members of the institute and are licensed to act as surveyor and loss assessor. The department and level of membership of the director/partner under their individual surveyor license shall become the department and level of membership of the Company/firm. Any licensed surveyor and loss assessor appointed as director/partner of a firm/company seeking application for grant of corporate license, shall undertake survey jobs and issue survey reports only in the capacity of director/partner of the applicant company/firm.

(iii) Licensed surveyors who are working as employees of the company/firm shall undertake survey jobs only of that company/firm with whom he/she is employed with. The employee shall undertake survey

- jobs only in those department and level of membership allotted to him/her under his/her individual license.
- v) Upon grant of corporate license, the company/firm can undertake survey jobs only in those department and level of membership displayed against each of the director/partner in the corporate license issued by the Authority.
- vi) None of the directors or partners of one corporate surveyor shall be appointed as director or partner in another corporate surveyor.
- vii) The main object of the company/firm shall be to carry out insurance survey and loss assessment and name of the company or firm shall include the words "Insurance Surveyors and Loss Assessors"
- viii) the aggregate holdings of equity shares held by a foreign company shall be disclosed at the time of making the application for grant of license, which shall not at any time, exceed 26% of the paid up equity capital of the applicant or such other percentage as may be specified by the Authority. The manner of calculation of 26% FDI shall be identical to the one specified for Indian Insurance Companies.
- ix) Ensure that the same promoter/subscriber of the applicant does not have more than one corporate surveyor license. "Promoter/Subscriber" shall be as defined in the "Companies Act, 1956".
- x) Shall pay fees based on the highest level of membership of any of the directors/partners as provided under Regulation 5, through online net banking /RTGS/NEFT/Demand Draft (in favour of IRDA payable at Hyderabad) and furnish evidence of payment.
- x) Documents to be enclosed ( can be submitted online followed by hard copy) :
- Application in Form- IRDA- 3AF duly completed in all respects.
  - Copy of Membership certificate issued by the Institute to the directors/partners, indicating Membership No, Date of Issue etc
  - Copy of one recent photo of directors/partners
  - Copy of Surveyor license of directors/partners
  - Copy of certificate of incorporation issued by ROC in case of company
  - Copy of Partnership deed in case of a firm duly signed by all the partners
  - Copy of Memorandum and Articles of association of the company
  - Copy of Form no 32 filed with ROC
  - Copy of Form no 18 filed with ROC
  - Copy of Form 4 filed with ROC
  - Copy of TAN
  - Proof of qualification of directors/partners
  - Affidavit as stated in FORM- IRDA-3AF ( to be submitted in soft form at the time of submission of application through online)
  - Self addressed envelope of 4.5"x10" with Rs.40 postage stamp
  - Demand draft, in case fee is paid by DD
  - Details of fee payment by RTGS/NEFT, if paid through RTGS/NEFT
  - Any other document/information that may be required by the Authority from time to time  
(Copies of documents slno d to m shall be notarised)
- xii) Disclosures:
- Submit a declaration that prior to joining corporate firm, the individual surveyors shall complete all jobs entrusted to them completed within the timelines provided under Regulation 9 of PPI Regulations, and that upon grant of corporate license, such surveyors, shall henceforth work only under the corporate license.
  - Such other additional requirements as may be specified by the Authority from time to time.
  - Submit a declaration that they shall submit information about resignation/death/suspension of director/partner, change in share holding pattern and such other material changes to the Authority and apply in FORM-IRDA- 18AF as given in the Schedule to these regulations

1227 45/13-12

within 15 days of such change for grant of modified license. The license issued by the Authority (in original) shall be surrendered at the time of application for grant of modified license.

- d) Submit details of those members who hold license to act as surveyor and are employed in the registered office and branch office/s of the firm/company to conduct survey jobs on behalf of the company/firm

- xii) The applicant referred to in regulation 4(1) shall apply in FORM-IRDA-3-AF as given in the Schedule to these regulations.

The Authority on being satisfied that the applicant is eligible for grant of license, shall grant the same in FORM-IRDA-4-LF as given in the Schedule to these regulations, indicating the department and membership level of the corporate surveyor. Such membership level shall be the highest level at which the corporate surveyor can function.

- (iii) Regulation 5, is substituted by the following:

The fee payable to the Authority by fresh applicants for grant of licence to act as surveyors and loss assessors, membership level wise, shall be as stated in the following table:

S.no	Membership level Surveyor & Loss Assessor in the Institute	Amount Payable by Individuals including sole proprietor (Rs.)	Amount payable by Corporate surveyor and loss assessor (Rs.)
1	Fellowship	10000/-	25000/-
2	Associate	7500/-	20000/-
3	Licentiate	5000/-	15000/-

- In case of Corporate Surveyor as stated under Regulation 4(1) above, the fee payable shall be the fee applicable to the highest level of membership of any of its Director/ Partner.
- Whenever there is difference in the Membership Level of Corporate Surveyor (lower to higher), the difference in fee shall be payable to the Authority by the Corporate Surveyor.
- Grant of license is subject to fulfillment of requirements stated under Regulation 3 and 4 of IRDA Surveyor Regulations, 2000 as amended from time to time.
- Payment of fees through online payment -net banking in Surveyor licensing portal considered as one of the modes of payment.

- (iv) Regulation 7 is substituted by the following:

- (1) An application for renewal of surveyor license including online submission of application for renewal, shall reach the Authority at least thirty days before the expiry of the period of validity thereof,
- in FORM-IRDA-5-AF (for individuals)
  - in FORM-IRDA-6-AF (for corporate surveyors) as given in the Schedule to these regulations, along with a renewal fee of two hundred rupees.

Provided that the Authority may, if it is satisfied that undue hardship would be caused otherwise, accept any application, within six months of its expiry on payment by the applicant of a penalty of seven hundred and fifty rupees.

Provided further that a licence not so renewed ceases to exist. However an application from such surveyor can be treated as fresh application and processed under Regulation 3, and such applicant shall be allotted Licentiate level of membership in the license issued by the Authority.

- (2) The Authority may renew the license upon being satisfied that the applicant has complied with all the requirements as may be specified by the Authority from time to time, particularly those specified in Chapter II of the Regulations

*Documents to be submitted (to be uploaded in soft form in the online licensing portal)*

I. In case of Individual:

- Application in Form- IRDA- 5AF duly completed in all respects.
- Copy of recent photo- 1
- Copy of PAN
- Copy of Proof of residence
- Proof of qualification
- No Objection Certificate from employer, if employed
- Work performance in Form -IRDA-12 ( to be uploaded in soft form for previous 5 financial years)
- Affidavit as stated in FORM- IRDA-1AF ( to be uploaded in soft form at the time of submission of application through online)
- Copy of membership certificate issued by the institute.
- Self-addressed envelope of 4.5" x10" with Rs. 40 postage stamp
- Demand draft, in case fee is paid by DD
- Details of fee payment by RTGS/NEFT, if paid through RTGS/NEFT
- Any other document/information that may be required by the Authority from time to time  
(Copies of documents sl. no c to i shall be notarized)

II. In case of corporate surveyors :

- Application in Form- IRDA- 6AF duly completed in all respects.
- Copy of one recent photo of directors/partners
- Copy of Surveyor license of directors/partners and their Institute's membership details
- Copy of certificate of incorporation issued by ROC in case of company
- Copy of Partnership deed in case of a firm duly signed by all the partners
- Copy of Memorandum and Articles of association of the company
- Copy of Form no 32 filed with ROC
- Copy of Form no 18 filed with ROC
- Copy of Form 4 filed with ROC
- Copy of TAN
- Proof of qualification of directors/partners
- Affidavit as stated in FORM- IRDA-3AF ( to be uploaded in soft form at the time of submission of application through online)
- Self-addressed envelope of 4.5" x10" with Rs.40 postage stamp
- Work Performance of the company/firm ( to be uploaded in soft form for previous 5 financial years)
- Demand draft, in case fee is paid by DD
- Details of fee payment by RTGS/NEFT, if paid through RTGS/NEFT
- Any other document/information that may be required by the Authority from time to time  
(Copies of documents sl. no c to l shall be notarized)

- (3) The Authority on being satisfied that the applicant is eligible for renewal of license, shall renew the same
- in Form- IRDA- 7-LF in case of individuals including sole proprietor
  - in Form -IRDA-8-LF in case of corporate surveyor

in the format given in the schedule to these regulations. A license so renewed shall be valid for five years from the date of renewal, unless cancelled earlier.

- (4) The application for renewal of license shall be processed taking into account the eligibility criteria, existing, including those set out under Regulation 3A, at the time of receipt of such application.

- (v) Regulation 8 is substituted by the following:

*Procedure where application for grant of license is rejected:*

- (1) the application for grant of license can be rejected on the following grounds:

- does not conform with or the applicant fails to comply with the provisions of the Act and these regulations.
- if the Authority is of the opinion that the grant of license is not in the interest of the policy holders.

*Provided that before rejecting any such application, the applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard.*

- (2) *Where the application for grant of license is rejected a refund of not more than 60% of the fee received shall be made to the applicant.*
- (3) *The rejection of application as stated under (1) above, shall be communicated to the applicant within thirty days of such rejection, stating the grounds for rejection thereof.*

*Procedure where application for renewal of license is refused:*

- (1) *The Authority may refuse the application for renewal of license to a surveyor and loss assessor on any of the following grounds, if the applicant:*
  - (i) *makes a statement which is false in material particulars with regard to the eligibility for obtaining license*
  - (ii) *if the applicant suffers from any of the disqualifications provided under sub-section (4) of section 42 of the Act, read with clause D of sub-section (1) of section 64UM of the Act.*

*Provided that the Authority shall give a reasonable opportunity, to the person concerned, of being heard, before such refusal.*

- (2) *The refusal of license referred to in sub-regulation (4) shall take effect from the date of such refusal and no surveyor and loss assessor shall carry out any survey and loss assessment work thereafter, including the jobs on hand. All such pending jobs shall be returned by him/ it to the insurer or the insured, as the case may be.*
- (3) *A surveyor whose application for renewal of license is refused for any reason, may submit an application for issuance of license, after the expiry of three years from the date of such refusal, and, such an application shall be treated as an application for grant of fresh license, and accordingly the applicant shall satisfy all the requirements stated under Regulation 3 or Regulation 4 as the case may be.*
- (vi) *Regulation 9 is shifted and inserted as Regulation 20A, 20B & 20C.*

#### 4. CONSTITUTION AND FUNCTIONS OF SURVEYORS AND LOSS ASSESSORS COMMITTEE

- (i) *Regulation 11(2)(iii) is substituted by the following:*

*one representative of Insurers from Public sector and a representative of insurer from Private sector*

- (ii) *New Regulation 12A inserted as follows:*

#### *Appointment of Surveyors and Loss Assessors*

- (1) *No person or a firm or a company shall act as a surveyor and loss assessor without being licensed under Regulation 3 or Regulation 4 of the IDRA Surveyor Regulations as the case may be.*
- (2) *Surveyors and loss assessors shall be appointed either by insurers or insured to assess loss under a policy of insurance in respect of general insurance business; above rupees twenty thousand.*
- (3) *Such appointment of a surveyor for assessment of loss shall be made within 72 hours from the time the occurrence of loss was known to the insured. Notice of such appointment shall be sent in writing to the insurer or insured as the case may be and shall form part of the claims settlement process.*
- (4) *A surveyor and loss assessor shall assess losses of only those departments specified in his/her or its license.*
- (5) *In case of any dispute/dissatisfaction, in the assessment of loss by surveyor appointed by the insurer, the insured can record his dissatisfaction, and then may appoint the appropriate surveyor to assess the loss reported under a policy of general insurance, in which case the fee shall be paid by the Insured.*
- (6) *Dispute, if any, between the insurer and insured, in quantum of loss assessed may be referred to Arbitration.*

**5. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR**

(i) Sub-Regulation 3 of Regulation 13 is substituted by the following:

"A surveyor or loss assessor whether appointed by insurer or insured, shall submit his report to the insurer as expeditiously as possible, but not later than 30 days of his appointment, with a copy of the report to the insured giving his comments on the insured's consent or otherwise on the assessment of loss. Where, in special circumstances of the case, either due to its special and complicated nature, the surveyor shall under intimation to the insured, seek an extension, in any case not exceeding six months from the insurer for submission of his report.

If an insurer, on the receipt of a survey report, finds that it is incomplete in any respect, he shall require the surveyor under intimation to the insured, to furnish an additional report on such incomplete issues as may be required by the insurer. Such a request may be made by the insurer within 15 days of the receipt of the original survey report.

Provided that the facility of calling for an additional report by the insurer shall not be resorted to more than once in the case of a claim.

The surveyor on receipt of this communication shall furnish an additional report within three weeks of the date of receipt of communication from the insurer".

**6. CATEGORISATION OF SURVEYORS**

(i) Regulation 14 is substituted by the following:

A surveyor and loss assessor shall be categorized on the basis of level of membership allotted by the Institute as stated under Regulation 14. Accordingly licensed surveyor and loss assessor shall be allotted membership by the Institute. The three levels of membership in the Institute viz. Licentiate, Associate and Fellow, as defined in the Articles of the Institute.

a. Every surveyor and loss assessor, whether a company or firm or an individual, shall be eligible to carry on the work as a surveyor or loss assessor, as per the level of membership allotted by the institute and specified in the licence.

(ii) After Regulation 14, a new Regulation 14(A) inserted and is as follows:

***Functions of the Institute***

(i) The Institute shall grant appropriate membership to person eligible, within 15 days from the date of receipt of application for membership, for grant of a valid license to be issued by the Authority to act as a surveyor and loss assessor based on the following criteria, including any other criteria as may be specified by the Authority from time to time:

i) **Membership**

**Licentiate Member:** Any person holding a valid license issued by an Authority to act as surveyor and loss assessor, and fulfills other criteria set out in Regulation 14A(1) (ii).

**Associate member:** Any Licentiate Member holding valid license continuously for a period not less than 8 years and fulfills other criteria set out in Regulation 14A(1) (ii).

**Fellow Member:**

Any Associate Member holding valid license continuously for a period not less than 8 years and fulfills other criteria set out in Regulation 14 A(1) (ii)

ii) **Training, examination, seminars and workshops:**

a. The institute shall conduct training, examination, seminars and workshops to all the members and every member, in order to upgrade his/her level of membership, shall undergo such training, examinations, seminars and workshops as specified below:

1227/57/13-83

b. In addition to the period of practical training that an application seeking a license to act as a surveyor and loss assessor is required to undergo training as prescribed in Regulation 16, the Institute shall provide and every member shall undergo, such training commensurate to their level of membership, for the minimum period as specified below:

Licentiate - 100 hrs

Associate - 50 hrs

Fellow - 25 hrs

c. The Institute or any other institution authorized by the Authority, shall conduct seminars and workshop and every member shall attend a minimum number of such seminars and workshops as specified below:

Licentiate - 5

Associate - 8

Fellow - 10

Provided further that all existing licensed surveyors and loss assessors shall become the members of the institute within 6 months from the date of these regulations and apply to IRDA for grant of modified license indicating the level of membership to be allotted by the institute.

Provided further that such members shall be required to comply with the requirements on training, evaluation, seminars and workshops for upgrading their existing levels of membership within the time limit as may be prescribed by the Authority from time to time.

(2) The Authority may from time to time issue such guidelines, directions or such other communication for the efficient conduct of the affairs of the Institute.

#### 7. CODE OF CONDUCT

(i) Sub Regulation 11 of Regulation 15 substituted as under:

maintain a register of survey work, containing the relevant information, such as, details of insured, insurer, policy number, date of allocation of survey work, date of submission of survey report, amount of claims assessed, such fee details and shall keep important records of the survey reports, photographs and other important documents for a period of three years and furnish the same and such other specified returns, as and when called for by the Authority or by any investigating authority or the insurer. However, in case of litigation involving above information/records/documents/photographs etc, the same shall be maintained till the conclusion of the litigation.

(ii) New Sub regulation nos 15,16,17 & 18 inserted under Regulation 15 as follows:

Every surveyor and loss assessor shall-

- o Comply with all the provisions of the Act, the IRDA Act, the rules and regulations made there under and the orders, directions and guidelines issued by the Authority from time to time.
- o shall undertake survey jobs in a company /firm only as an employee/director/partner.
- o Neither act as a consultant of the Insured nor involve in settlement of loss, particularly those losses which are being assessed by him as an appointed surveyor
- o Comply with the provisions of AOA, regulations and Code of Ethics framed by the Institute from time to time.

#### 8. Chapter VII- Practical Training renamed as "TRAINEE APPLICANTS"

(i) Regulation 16 is substituted by the following:

##### *Trainee Applicants*

16 (i) A student member seeking a license to act as a surveyor and loss assessor shall apply and enroll with Authority as Trainee in FORM-IRDA-13 as given in the Schedule to these regulations, after having obtained the willingness to impart training from his trainer in FORM-IRDA-14 as given in the schedule to these regulations, and shall undergo a period of practical training of not less than twelve months with a licensed surveyor and loss assessor as specified below:

(1A) During the period of training, every applicant who is a student member of the Institute and enrolled as trainee shall comply with the code of conduct and code of ethics prescribed by the Institute and duly approved by IRDA and shall have include the following:

- i) Behave ethically and with integrity. Integrity implies not merely honesty but fair dealings and truthfulness.
- ii) Not accept/perform/undertake/any survey works and not issue any survey report without holding a valid license issued by the Authority to act as surveyor and loss assessor
- iii) Maintain at all times, proper record of training details duly certified by the trainer surveyor, and
- iv) Disclose all information relating to any proceedings initiated or investigation pending or carried out/against him/her or it by any agency and details of the results thereof"
- v) File within 15 days, any change in information already submitted to the authority
- vi) Any other requirement that may be specified by the Institute from time to time.

(2) The surveyor under whom an trainee will be trained shall belong to Associate or Fellow member of the Institute

(3) The trainee shall maintain a quarterly record of training received in FORM-IRDA-15 during the period and shall get it certified by the surveyor and loss assessor under whom he has trained and the certificate in FORM-IRDA-16 shall be attached to the application for seeking grant of a license under regulation 3;

(3)a. The requirement to undergo practical training for a period not less than 12 months as stated under Regulation 16(1) shall not be applicable to those student members who have over 15 years of experience in areas relating to risk management and settlement of claims in relevant field in General Insurance Industry.

The licence to be granted to an applicant to act as a surveyor and loss assessor shall be in that particular area for which he has been trained;

(4) If a surveyor and loss assessor already licensed by the Authority seeks to obtain a similar licence for acting as a surveyor in a category other than for which he is licensed, he shall undergo a period of training not less than six months under a surveyor and loss assessor holding either a Fellow or Associate member licence issued by the Authority to act in that particular area.

(5) Those who have already enrolled as trainees with IRDA shall become the student member of the Institute in addition to complying with the criteria set out in Regulation 3 for grant of license to act as surveyor and loss assessor.

(ii) In Regulation 17 the word "Authority" shall be replaced by "Institute" after the words "the examination may be conducted either by the...". The regulation shall read as under:

The Authority may also prescribe the passing by an applicant of an examination on the successful completion of the training prescribed above for the grant of a license under Regulation 3. The examination may be conducted either by the Institute or by an institution authorized by IRDA.

## 9. MISCELLANEOUS

### Register of Licensed Insurance Surveyors and Loss Assessors

(i) In Sub Regulation 1 of Regulation 18 the word "Authority" shall be replaced by "Institute"

(ii) In sub regulation 1 (vi) of regulation 18 the word "Categorization" shall be replaced by "Level of Membership in the Institute"

(iii) In sub regulation 3 of regulation 18 the word "shall" be replaced by "may". The regulation shall read as under:

The Authority may cause the publication of the relevant particulars entered in the register, as may be considered appropriate by it, at such intervals and in such manner, as may be deemed fit.

### Submission of returns by Surveyor and Loss Assessor -

(ii) Regulation 19 substituted as under:

Every licensed surveyor and loss assessor shall:-

- (a) furnish such of the document, statement, account, return or report, as and when required by the Authority, and comply with such directions, as may be issued by the Authority in this behalf, from time to time; and
- (b) submit an annual statement in FORM-IRDA-12 given in the Schedule to these regulations.
- (c) Every insurer shall submit to the Authority the following:
- i) Quarterly report on misconduct of licensed surveyors, including, action, if any taken, on the employee surveyors under the employment rules
  - ii) File with the Authority, annually, a copy of the policy formulated by the company, on the methodology followed for appointment of surveyors, utilization of surveyors and allotment of survey jobs to licensed surveyors.
  - iii) File with Authority, changes if any made in the policy submitted as stated under (d), within 15 days of such change with reasons thereof.

iii) Inspection

Sub Regulation 3 of Regulation 20 is being substituted as follows:

A surveyor and loss assessor shall provide the information demanded by the inspecting authority for the purpose of carrying out inspection/investigation and extend all possible co-operations to facilitate the conduct of its work.

(iv) Action in case of Default – Suspension of License

Regulation 9 on Suspension of License shifted and substituted as 20A as follows:

- (1) The Authority shall suspend a license already granted, to a surveyor and loss assessor (individual/corporate), if he/it:
- i. Fails to discharge the duties and responsibilities in a satisfactory and professional manner; or
  - ii. Violates the code of conduct specified in these regulations or
  - iii. Makes a statement which is false in material particulars with regard to eligibility for obtaining license or renewal thereof or in any of the activities transacted by him or them or the matters connected therewith as a surveyor and loss assessor or has after the issue or renewal of such license, acquired any of the disqualifications provided under sub-section (4) of section 42 of the Act, read with section 42(4) of the Act.
  - iv. Has contravened any of the provisions of the Act, or IRDA Act, 1999, or any rules or regulations made under those Acts, or any order or direction issued by the Authority
  - v. Has been negligent in discharge of his obligations
  - vi. Has been sentenced to a term of imprisonment by any court of law

Provided that the Authority shall give a reasonable opportunity to the person concerned, of being heard before such suspension.

- 2) The Authority may also suspend the license if it is of the opinion that the continuation of such license would be prejudicial to the interest of the policy holders, in which case the opportunity of personal hearing may not be provided
- 3) The Authority may in addition to cancellation of the individual license of director/partner of corporate surveyor may also suspend the license of a corporate surveyor for any act committed as stated under 1 and 2 above, if the same is committed by any one of its partner/director.
- 4) The suspension of license shall be for such period as may be indicated in the order and shall take effect from the date of the order of suspension until revoked.
- 5) During the period of suspension, the holder of such a license shall not carry out any survey and loss assessment work including the jobs on hand and shall return all such pending jobs to the insurer or the insured, as the case may be.
- 6) A surveyor whose license has been suspended for any reason, may submit an application for issuance of license, after the expiry of three years from the date of such cancellation, and, such an application shall be treated as an application for grant of fresh license, and accordingly the applicant shall satisfy all the requirements stated under Regulation 3 or Regulation 4 as the case may be.

*Cancellation of license*(iv) *A New Regulation 20 B inserted as follows:*

1. Where it is found that a surveyor and loss assessor suffers from any of the disqualifications mentioned in section 42D read with section 42(4) of the Act or has knowingly contravened any provisions of the Act or the IRDA Act 1999, or the rules or regulations made under those Acts or any order of directions or instruction issued by the Authority, the Authority may, cancel his license, with effect from such date as may be specified by it.

*Provided that the Authority shall give a reasonable opportunity to the person concerned, of being heard, before cancellation.*

*Provided further that the powers conferred on the Authority in this sub-regulation are without prejudice to the powers conferred on it by sub-section (7) of section 64UM of the Act.*

2. The Authority may also cancel the license if it is of the opinion that the continuation of such license would be prejudicial to the interest of the policyholders.
3. A surveyor whose license has been cancelled for any reason, may submit an application for issuance of license, after the expiry of three years from the date of such cancellation, and, such an application shall be treated as an application for grant of fresh license, and accordingly the applicant shall satisfy all the requirements stated under Regulation 3 or Regulation 4 as the case may be.

*Procedure for suspension and cancellation of license*(vi) *A New regulation as 20 C inserted as follows:*

1. A licensed surveyor and loss assessor whose license is proposed to be suspended or cancelled by the Authority may be granted an opportunity of hearing before suspending or cancelling the license.

*Provided, that the Authority may not follow this procedure if the continued employment of the licensed surveyor and loss assessor is considered to be prejudicial to the interest of policyholders.*

2. Upon receipt of the order of suspension, the licensed surveyor and loss assessor may file a representation before the Authority for revocation of suspension. The Authority may designate an officer, who upon considering the representation shall, pass such an order or orders as he/she deems fit which shall be communicated to the suspended surveyor and loss assessor.
3. If, on the basis of the order of the designated person, the Authority revokes the order of suspension and restores the license of the surveyor and loss assessor, it shall indicate the date from which the restoration will take place.
4. The license granted by the Authority may be cancelled by the Authority where the surveyor and loss assessor does not represent within a period of 45 days from the date of order of suspension.
5. Any order of suspension or revocation of the order thereof shall be intimated to the insurer.
6. Authority shall notify only cancellations in the Official gazette.

1227 52713-14

*Schedule*

## FORM - IRDA - 1 - AF

[See Regulation 3(1)]

## APPLICATION FOR A LICENCE TO ACT AS SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR (INDIVIDUAL)

## Checklist

Please ensure the following:

- 1) To enclose a copy of the Student Membership Certificate issued by the Institute.
- 2) To make online payment of fees (as mentioned in the Regulations) through "NET BANKING /DEMAND DRAFT/NEFT/RTGS" during application submission.
- 3) Have scanned copies ready of Degree/ Diploma attested by Notary/ Magistrate.
- 4) To attach scanned copy of affidavit duly Notarized against S.No. 2 of the application form.
- 5) To enclose attested and scanned documents in response to Q. No.'s 4, 8, 9, 10 & 11. The answers to which are a must.
- 6) To attach a recent scanned copy of passport size photograph along with the application form.
- 7) Send physical copies of application, uploaded documents and self addressed envelope of 4.5"X10 with Rs.40 postage stamp to IRDA. These are mandatory for grant of license.

Notes: Read with Regulation 3

1. The attention of the applicant is drawn to Section 102 of the Insurance Act 1938, which provides that whoever in any document required for the purpose of any of the provisions of the Act, rules or regulations made thereunder, fails to furnish the same shall be liable to a penalty not exceeding Rs. 5 lakhs for each such failure and punishable with fine.
2. An individual can apply for only one licence, which will entitle him to act as a Surveyor and Loss Assessor for any insurer.
3. Any correction or alteration made in answer to the questions in the application should be initiated by the applicant.
4. An applicant must be atleast 18 (eighteen) years of age on the date of submission of the application. In the case of any applicant declaring him at is 18 years the exact date of birth of falling in the year or birth should be stated against item 4 of the application. If require the applicant shall furnish proof age.
5. A notification will be sent to the applicant on successful submission of the application form.
6. Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change.
7. As the licence is issued bilingual viz. Hindi and English, the applicant may like to indicate how he spells his name in Hindi. It is, therefore, advised that the name and address may be written.

1. I student member of the Institute, request that a license to act as a Surveyor and Loss Assessor may be granted to me for the following class/department

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Please tick								

Student Membership Details... (to upload soft copy of the Membership Certificate and ID card issued by the Institute)

2. I hereby declare that

- i) I have not been found to be of unsound mind by a Court of competent jurisdiction.
- ii) I have not been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust or cheating or forgery or of abetment or attempt to commit any such offence by a Court of Competent Jurisdiction.
- iii) I have not been found guilty of or to have knowingly participated in or connived at any fraud/dishonesty or misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial proceeding relating to any policy of insurance or the winding up of an insurance company.
- iv) I shall not violate the code of conduct specified by the regulations made by the Authority.
- v) I possess the requisite qualifications and practical training as specified by the regulations made by the Authority.
- vi) I have passed such examination as specified by the regulations made by the Authority.

3. I also declare that the particulars given below are true:

- a. Full Name (Shri/Smt/Kum)[in English & Hindi] .....
- b. Father/Husband's Name .....
- c. Present address [in English & Hindi]

Address1	.....
Address2	.....
Address3	.....
City/Town/Village	.....
District	.....
State	.....
Country	.....
Pincode	.....

- d. Permanent address Address1 .....
- Address2 .....
- Address3 .....
- City/Town/Village .....
- District .....
- State .....
- Country .....
- Pincode .....

4. Qualification

- a) Academic / Professional .....
- b) Insurance .....

c) Training Attended .....  
 (Nature – Duration for all of the above)

5. Communication

Phone Office	Phone Res.	Fax	Mobile	Email ID	Alternate Email ID

6. Date of Birth .....

7. Sole Proprietor (Name if applicable) .....

8. Practical Training Details (Please enclose the Training Completion Certificate obtained from the surveyor/ survey firm)

Name of the Surveyor/Surveyors' Firm	Departments allocated to surveyors/ Surveyor Firm	Level of Membership allotted to the Surveyor/ Survey Firm	Period of training undergone (Please mention dates)	Name of person(s) under whom training undertaken	Areas Covered	Result

9. Experience Details:

- a) Whether the applicant was employed with any insurance company:
- b) Job Experience in previous employment other than insurance surveyor, if any:
- c) Details of other business/ employment:

10. Occupation status:

Student    Professional    Business    Employee    Service    Housewife    Others .....

11. Employment details:( In chronological order of employment).

a) Whether applicant is currently employed? Yes/No .....

b) If yes, provide details below and also attach scanned copy of NOC from employer

Name of Employer	Nature of Organization	Nature of Work	Period of employment	
			From Date	To Date
	(Govt./Semi-govt/Private Firm, insurance company, surveyor firm, PSU, others)	(Insurance survey related, Others)		

c) Details of any other business/profession carried out:

Name of Firm	Designation	Nature of Business

12. Have you ever held a license to act as a surveyor and loss assessor?

If Yes, please provide details:

License No. ....  
 Date Of Issue .....  
 Expiry Date .....

## 13. Fee Payment: NET BANKING/DEMAND DRAFT/NEFT/RTGS

Fee applicable for all Surveyor categories

Category of surveyor and loss assessor based on the membership allotted by the Institute	Amount payable by individuals surveyor and Loss Assessor
Fellow member	10000
Associate Member	7500
Licentiate Member	5000

## 14. Declaration:

I solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Applicant.....

## FORM - IRDA - 2 LP

[See Regulation 3(3)]

Not Transferable

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

LICENCE NO. ....

LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR UNDER THE INSURANCE ACT, 1938  
(Individual)

Mr./ Mrs./ Miss.....

Address House No.....Street.....

Town/ District ..... State.....Pincode.....

\* working as sole proprietor of ..... having Membership no .... of the Institute and  
having paid the specified fee and having made the necessary declaration is hereby authorised under Section 64-UM of the  
Insurance Act, 1938 to act as surveyor and loss assessor for a period of five years from .....

This Licence will expire on DD-MM-YYYY

Name ..... is allocated the following departments and category:

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Level of Membership								

Hyderabad, dated the DD-MM-YYYY.

Signature of License Holder.....

Designated Person  
Insurance Regulatory and Development Authority

Notes:

12-27-69/13-15

1. If it is desired to renew this license for a further period, the procedure stated in the Regulations shall be followed, and an application for renewal should reach the Authority at least thirty days before the license expires.
2. This license authorizes the license holder to act as a surveyor and loss assessor for any registered insurer and therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the license.
3. No correction in this license shall be valid unless initiated by the Designated Person of the Authority.

FORM - IRDA - 3 - AF  
 [See Regulation 4]

APPLICATION FROM A FIRM OR COMPANY FOR A LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR

Checklist

Please ensure the following:

- 1) To enclose a copy of the Membership certificate issued by the Institute to directors/partners.
- 2) To make online payment of fees (as mentioned in the regulations) through "Net Banking" during application submission.
- 3) Have scanned copies ready of Degree/ Diploma /Technical qualifications attested by Notary/ Magistrate only.
- 4) To attach scanned copy of affidavit duly Notarized against S.No. 2 of the application form.
- 5) Attach attested and scanned copies of documents wherever required.
- 6) Send Self addressed envelop 4.5"X10" with Rs.40 postage stamp to IRDA.

Notes: Read with Regulation 4

1. The attention of the applicant is drawn to Section 102 of the Insurance Act 1938, which provides that whoever in any document required for the purpose of any of the provisions of the Act, rules or regulations made there under, fails to furnish the same, shall be liable to a penalty not exceeding Rs 5 lakhs for each such failure and punishable with fine.
2. A firm or company including group companies can apply for only one licence which will entitle it to act as a surveyor and loss assessor.
3. Any correction or alteration made in the application should be initiated by the applicant.
4. \*Name of the company should be suffixed by "Insurance Surveyor and Loss Assessor".
5. A licensed SLA cannot act/function as a Director/Partner of more than one company/firm.
6. All directors shall possess surveyor license which shall be duly licensed and be a member of the Institute.
7. The main object of the company/firm shall be to undertake survey, loss assessments and related jobs.
8. Any changes in license details should be duly reported within 15 days to IRDA for grant of modified license. Affidavit should be provided on behalf of the firm.
9. The fee to be applied depends on the highest level of membership of any of the Director/Partner of the company/Firm.
10. An affidavit of Rs. 10/- duly notarized on non-judicial stamp paper is required to be scanned and attached for renewal of licenses in the form of a declaration as contained against Sl.No.6 of the application form.
11. An email notification will be sent to the applicant on successful submission of the application form.

12. Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change.
- It is requested that a license to act as a Surveyor and Loss Assessor may be granted to our Firm/ Company for-the following departments and level of membership allotted to our directors/partners under their individual surveyor license:

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Name of director/partners, their individual License-Details & level of Membership								

- It is hereby declared that-
  - (i) No director/ partner of our Company/ Firm has been found to be of unsound mind by a Court of competent jurisdiction.
  - (ii) No director/ partner of our Company/ Firm has been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust, or cheating or forgery, or an abetment of or attempt to commit any such offence by a Court of competent jurisdiction.
  - (iii) No director/ partner of our Company/ Firm has been found guilty of or to have knowingly participated in or connived at any fraud, dishonesty or misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial proceedings relating to any policy of insurance or the winding up of an insurance company or in the course of an investigation of the affairs of an insurers.
  - (iv) No director/ partner of our Company/ Firm is a minor.
  - (v) No director/ partner of our Company/ Firm shall violate the code of conduct specified by the regulations made by the Authority.
  - (vi) All director(s)/ partner(s) of our Company/ Firm possess the requisite qualifications and practical training as specified by the regulations made by the Authority.
  - (vii) All director(s)/ partner(s) persons of our Company/ Firm have passed such examination as specified by the regulations made by the Authority.

(The above declaration shall pre-populate in the online licensing process)

- It is also declared that the particulars given below are true.
  - Name of Firm/Company (In English & Hindi) .....
  - Address of Company/Firm (In English & Hindi) .....  
(Registered/Corporate Office) .....
  - Details of Branch Office/s (If any) .....

#### 4. Details of Employees

Licensed surveyors employed in the firm License no & Level of membership	Designation	Employment Period		SLA No.	Date of Expiry
		From Date	To Date		

It is also declared that the name of all the director/s & partner(s) with their addresses and their date of birth submitted:

- a) have been in practice as a surveyor/ loss assessor on the 31<sup>st</sup> May, 1970 or;
- b) hold a degree of a recognized university in any branch of engineering, or
- c) be a fellow or associate member of the Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost and Works Accountants of India or
- d) possess actuarial qualifications or hold a degree or diploma of any Indian University or Institute in relation to insurance, or
- e) hold a diploma in insurance granted or recognized by the Government, or
- f) possess any of the technical qualifications mentioned in Rule 56A

(N.B. 1: In the case of each of the partners/directors claiming to come under item (a) above and not being eligible to come under any of the items (b) to (f) above, a declaration as given in the Insurance Rules, 1939 and sworn before a Magistrate or Notary Public should be forwarded and in the case of each of the partners/Directors claiming to come under any one of the items (b) to (f) above, either the original diplomas/ certificates with one of the attested copy each, or copies of the original diplomas/ certificates duly attested by a Magistrate or Notary Public should be enclosed. Where original diplomas/ certificates are sent, they will be returned after perusal, but no responsibility can be accepted for loss or damage of such originals)

5. Details of Directors (details to capture multiple directors is captured)

SLA No. ....  
Membership details of Institute:  
 Membership/ ID card No. ....  
 Date of Issue of ID card .....  
 Level of membership allotted .....  
 Date of Expiry .....  
 Name .....  
 Address .....  
 Departments allocated

Dept.	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
<i>Level of Membership</i>								

Last Employment details

Name of Employer	Nature of Organization	Nature of Work	Period of employment	
			From Date	To Date
	(Govt./Semi-govt/Private Firm, insurance company, surveyor firm, PSU, others)	(Insurance survey related, Others)		

N.B.: Where a director/ partner does not already hold an individual license then an application (in FORM NO. 1-AF - Application for New License) from such a person should also submitted.)

- Did the Firm/Company ever hold a license?  
 If Yes, provide details below and upload copy of old license

SLA No. ....  
 Date of Issue .....  
 Date of expiry .....  
 Reason for Non renewal .....

- Fee Payment: Net Banking /Demand Draft/NEFT/RTGS:

Fee applicable for all Surveyor categories:

<i>Highest level of membership of any of the Director/Partner of the company/Firm</i>	<i>Amount payable by individuals surveyor and Loss Assessor</i>
<i>Fellow Member</i>	25000
<i>Associate Member</i>	20000
<i>Licentiate Member</i>	15000

• Declaration

I solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Applicant.....

FORM - IRDA - 4 LF

[See Regulation 4]

Not Transferable

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

LICENCE NO. ....

LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR UNDER THE INSURANCE ACT, 1938  
(CORPORATE)

Name of the Company/Firm: .....

Registered Address: .....

Having paid the specified fee and having made the necessary declaration is hereby authorized under Section 64-U/M of the Insurance Act, 1938 to act as a surveyor/loss assessor for five years from DD-MM-YYYY.

This License will expire on DD-MM-YYYY.

The following are the details of Directors / Partners along with departments and level of Membership allotted along with their individual license number:-

	Name of Director/Partner	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	CROP INSURANCE	LOP
<i>License and Membership details of directors/partners</i>									

Hyderabad, dated the DD-MM-YYYY

Name Of the directors/Partners

1227 & 718-16



Name



Name



Name

.....  
Seal of the Company/Firm.....  
Designated Person  
Insurance Regulatory and Development Authority**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****Notes:**

1. If it is desired to renew this license for a further period, the procedure stated in the Regulations shall be followed, and an application for renewal should reach the Authority at least thirty days before the license expires.
2. This license authorizes the license holder to act as a surveyor and loss assessor for any registered insurer and therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the license.
3. No correction in this license shall be valid unless initiated by the Designated Person of the Authority.

**FORM - IRDA - 5 AF**  
 [See Regulation 7(1)]

**APPLICATION FOR RENEWAL OF A LICENCE TO ACT AS SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR (INDIVIDUAL)****Checklist**

Please ensure the following:

- 1) To enclose a copy of the membership certificate issued by the Institute
- 2) To submit FORM 12 (annually) online before applying for Renewal to make online payment of fees (as mentioned in the regulations) through "Net Banking/Demand Draft/NEFT/RTGS" during application submission.
- 3) To attach scanned copy of previous license.
- 4) To attach scanned copies of qualifications duly attested by notary.

- 5) to attach scanned copy of affidavit duly notarised against S.No. 6 of the application form.
- 6) To send Self addressed envelope 4.5" X 10" with Rs.40 postage stamp to IRDA to send hard copy of the renewed license
- 7) To submit FORM 12 (annually) online before applying for Renewal.
- 8) To attach a recent scanned copy of passport size photograph along with the application form.

Notes: Read with Regulation 7

1. All licensed surveyors shall apply online 30 days before the expiry of the license.
2. Any correction or alteration made in answer to the questions in the application should be initiated by the applicant.
3. An affidavit of Rs. 10/- duly notarized on non-judicial stamp paper is required to be scanned and attached for renewal of licenses in the form of a declaration as contained against S.No. of 6 of the application form.
4. An email notification will be sent to the applicant on successful submission of the application form.
5. Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change for grant of modified license by the authority.

I request that the below license may be renewed for a further period of five years.

1. Current License Details

SLA No. (mandatory) .....  
License Effective Date .....  
Date of Expiry .....

Membership details of Institute:

Membership/ID card No .....  
Date of Issue of ID card .....

Level of membership allotted .....

2. Name of Surveyor and Loss Assessor .....

3. Permanent Address .....

4. Present Address .....  
(If change in present address, please upload proof doc)

5. Departments allocated

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	CROP INSURANCE	LOP
<i>Level of Membership</i>								

6. I declare that since the date of my last application for license

- (i) I have not been found to be unsound mind by a Court of competent jurisdiction.
- (ii) I have not been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust or cheating or forgery of an abetment of or attempt to commit any such Offence by a Court of Competent jurisdiction, and
- (iii) I have not been found guilty of or to have knowingly participated in or connived at any fraud/dishonesty or made any misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial proceeding relating to a policy of insurance or the winding up of any investigation of the affairs of an insurer, and

- (iv) My license has not been cancelled at any time by the Controller of Insurance/ Insurance Regulatory and Development Authority.
- (v) I declare that I continue to hold the qualification on the basis of which my licence mentioned above was issued.
- (vi) An undertaking on performance report showing survey work done by me during the last 5 years of the validity period indicating total number of survey work, and amount involved in each category of cases, year-wise and company-wise is attached.
- (vii) In addition to surveyor's work, I am also engaged on other occupations, the details of which are given below:  
Or  
I am not engaged in any other occupation.
- (viii) I have not been disqualified for any of the provisions neither attracted the disqualification stated in section 42D of the Insurance Act, 1938.

Occupation status:

Student     Professional     Business     Employee     Service     Housewife     Others .....

Employment details:

d) Whether applicant is currently employed? Yes/No .....

e) If yes, provide details below and also attach scanned copy of NOC from employer

Name of Employer	Nature of Organization	Nature of Work	Period of employment	
			From Date	To Date
	(Govt./Semi-govt/Private Firm, insurance company, surveyor firm, PSU, others)	(Insurance survey related, Others)		

f) Details of any other business/profession carried out:

Name of Firm	Designation	Nature of Business

7. Whether the applicant has been in practice as a Surveyor and Loss Assessor on the 31st May, 1970 ?  
If answer is in YES and the applicant does not possess any of the qualifications stated in Insurance Act, 1938 and rules and regulations made thereunder the applicant must make a declaration as given in the Insurance Rules, 1939 and duly sworn before a Magistrate or a Notary Public.

8. Fee Payment; NET BANKING/DEMAN DRAFT/NEFT/RTGS

A fee of Rs. 200 should be paid as Renewal fee.

In case license is submitted after expiry upto a maximum period of six months, the license fee will be Rs. 200 with a penalty of Rs. 750 (along with photocopy of qualification duly attested by notary).

9. Declaration

I solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Applicant.....

Date:

Place:

FORM - IRDA - 6 - AF  
[See Regulation 7(1)]

APPLICATION FROM A FIRM OR COMPANY FOR RENEWAL OF A LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR

**Checklist**

Please ensure the following:

- 1) To enclose a copy of the membership certificate issued by the Institute to the directors/partners
- 2) To submit FORM 12 (annually) online before applying for Renewal to make online payment of fees (as mentioned in the regulations) through Net Banking during application submission.
- 3) Have scanned copies ready of Degree/ Diploma/Technical qualification attested by Notary/ Magistrate.
- 4) To attach scanned copy of affidavit duly notarized against S.No.3 of the application form.
- 5) To send Self-addressed envelope of 4.5" X10" with Rs.40. postage stamp to IRDA to send a hard copy of the License Certificate.

**Notes:**

1. The application should be submitted online atleast 30 days before the expiry of the license with a renewal fee of Rs.200 may be paid online through Net Banking/Demand Draft/NEFT/RTGS.
  2. In case license is submitted after expiry upto a maximum period of six months the license fee will be Rs.200/-with a penalty of Rs.750/-through Net Banking/Demand Draft/NEFT/RTGS.
  3. The attention of the applicant is drawn to Section 102 of the Insurance Act 1938, which provides that whoever in any document required for the purpose of any of the provisions of the Act, rules or regulations made there under, fails to furnish the same, shall be liable to a penalty not exceeding Rs 5 lakhs for each such failure and punishable with fine.
  4. A firm or company including group companies can apply for only one licence which will entitle it to act as a surveyor and loss assessor.
  5. Any correction or alteration made in the application should be initialed by the applicant.
  6. Name of the company should be suffixed by "Insurance Surveyor and Loss Assessor".
  7. A licensed SLA cannot act/function as a Director/Partner of more than one company/firm.
  8. All directors shall possess surveyor license which shall be duly licensed and categorized.
  9. The main object of the company/firm shall be to undertake survey, loss assessments and related jobs.
  10. Any changes in license details should be duly reported within 15 days to IRDA for grant of modified license by the Authority. Affidavit should be provided on behalf of the firm.
  11. An affidavit of Rs. 10/- duly notarized on non-judicial stamp paper is required to be scanned and attached for renewal of licences in the form of a declaration as contained against S.No. of 6 of the application form.
  12. An email notification will be sent to the applicant on successful submission of the application form.
  13. Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change.
1. Current Corporate License Details

1227 27/3-17

SLA no. ....  
 Date of Expiry ....  
 Name of the Firm/Company ....  
 Address of Company/Firm ....  
 Departments allocated ....

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
<i>License details of directors/partners and level of membership</i>								

2. It is requested that the above license may be renewed for a further period of five years for the following classes of insurance and level of membership allotted to directors/partners:

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
<i>License details of directors/partners and level of membership</i>								

3. It is hereby declared that—

- (i) No director/ partner of our Company/ Firm has been found to be of unsound mind by a Court of competent jurisdiction;
- (ii) No director/ partner of our Company/ Firm has been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust, or cheating or forgery, or an abetment of or attempt to commit any such offence by a Court of competent jurisdiction;
- (iii) No director/ partner of our Company/ Firm has been found guilty of or to have knowingly participated in or connived at any fraud, dishonesty or misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial proceedings relating to any policy of insurance or the winding up of an insurance company or in the course of an investigation of the affairs of an insurers; and
- (iv) No director/ partner of our Company/ Firm is a minor.
- (v) No director/ partner of our Company/ Firm shall violate the code of conduct specified by the regulations made by the Authority.
- (vi) All director(s)/ partner(s) of our Company/ Firm possess the requisite qualifications and practical training as specified by the regulations made by the Authority.
- (vii) All director(s)/ partner(s) of our Company/ Firm have passed such examination as specified by the regulations made by the Authority.

(The above declaration shall prepopulate in the online licensing process)

4. It is declared that each one of the Director(s) / partner(s) of the firm who was a partner/ Director when the above mentioned licence was issued and who is now a Director(s) / partner(s) continues to satisfy the requirements of clause (D) of subsection (1) of Section 64-UM of the Act.

It is also declared that all the director(s)/partner(s) whose address, date of birth have been submitted

- a) have been in practice as surveyor and loss assessor on 26<sup>th</sup> October, 1968 , or
- b) hold a degree of a recognized university in any branch of engineering, or
- c) be a fellow or a associate member of the Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost and Works Accountants of India, or
- d) possess actuarial qualifications or holds a degree or diploma of any Indian University or Institute in relation to Insurance, or

- e) hold a diploma in insurance granted or recognized by the Government, or  
 f) possess any of the technical qualifications mentioned in Rule 56-A.

(The above declaration shall pre-populate in the online licensing process)

[N.B. 1. In the case of each of the director/partner who was not a partner/ Director on the date of last application for licence:-

- (i) where he claims to come under item (a) above, and is not eligible to come under any of the items (b) to (f) above, a declaration as given in the Insurance Rules, 1939 and sworn before a Magistrate or a Notary Public should be forwarded with this form; and  
 where the claims to come under any one of the items (b) to (f) above, either the original diplomas/certificates with one of the attested copy each, or copies of the original diplomas/certificates duly attested by a Magistrate or Notary Public should be enclosed. Where original diplomas/certificates are sent, they will be returned after perusal, but no responsibility can be accepted for loss or damage of such originals.

#### 5. Details of Directors/Partners

a) Name of the director/partner .....  
 SLA no. .....  
 Date of Expiry .....

Membership details of Institute:  
 Membership ID card No .....  
 Date of Issue of ID card .....  
 Level of membership allotted .....

Name .....  
 Address .....

Departments allocated

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
<i>License details and level of Membership</i>								

Note: Where a director/ partner does not already hold an individual license then an application (in FORM NO. I-AF - Application for New License) from such a person should also be submitted.]

#### Last Employment details

Name of Employer	Nature of Organization	Nature of Work	Period of employment	
			From Date	To Date
	(Govt./Semi-govt/Private Firm, insurance company, surveyor firm, PSU, others)	(Insurance survey related, Others)		

#### 6. Declaration

I solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the applicant.....  
 (Digital Signature)

Name of the Company/Firm:  
 Corporate License No :

Seal of the Company/ Firm

FORM - IRDA - 7 LF  
 [See Regulation 7(3)]

Not Transferable  
**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**  
LICENCE NO. ....  
RENEWAL OF LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR  
UNDER THE INSURANCE ACT, 1938( INDIVIDUAL)

Mr./ Mrs./ Miss.....

Address .....

\* working as sole proprietor of ..... having Membership no. .... of the Institute and having paid the specified fee and having made the necessary declaration, his/her Licence No. ..... dated ..... to act as a surveyor and loss assessor is hereby renewed upto ..... day of ..... 20 .....

Name ..... are allocated the following departments and category:

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg.	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Level of Membership								

Hyderabad, dated the DD-MM-YYYY

Signature of License Holder.....

.....  
Designated Person  
Insurance Regulatory and Development Authority

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**

Notes:

- If it is desired to renew this license for a further period, the procedure stated in the Regulations shall be followed, and an application for renewal should reach the Authority at least thirty days before the license expires.
- This license authorizes the license holder to act as a surveyor and loss assessor for any registered insurer and therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the license.
- No correction in this license shall be valid unless initiated by the Designated Person of the Authority.

FORM - IRDA - 8 LF  
[See Regulation 7(3)]  
Not Transferable  
**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**  
LICENCE NO. ....  
RENEWAL OF LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR  
UNDER THE INSURANCE ACT, 1938 (CORPORATE)

Name : .....

Address: .....

having paid the specified fee and having made the necessary declaration is hereby authorized under Section 64-UM of the Insurance Act, 1938 to act as a surveyor/loss assessor for five years from DD-MM-YYYY.

This License will expire on DD-MM-YYYY.

The Directors / Partners are allocated the following departments and categories:-

Sl No.	Name of Director	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
<i>License and Membership details of director</i>									

Hyderabad, dated the DD-MM-YYYY

Signature of the license Holder.....  
Seal of the Firm/Company.....

.....  
Designated Person  
Insurance Regulatory and Development Authority

#### INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Notes:

1. If it is desired to renew this license for a further period, the procedure stated in the Regulations shall be followed, and an application for renewal should reach the Authority at least thirty days before the license expires.
2. This license authorizes the license holder to act as a surveyor and loss assessor for any registered insurer and therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the license.
3. No correction in this license shall be valid unless initiated by the Designated Person of the Authority.

FORM - IRDA - 9  
[See Regulation 10(1)]

#### APPLICATION FOR DUPLICATE LICENSE

I regret to inform you that my/ our licence no. .... expiry date DD-MM-YYYY has been

Lost  Destroyed  Mutilated

122792713-18

by the following circumstances.....  
 ....  
 ....

The fees of Rs. 5/- is also paid below for issue of duplicate license (Fee Payment: Net Banking/Demand Draft/NEFT/RTGS). I/We, therefore request the Authority to kindly issue a duplicate licence in light of the circumstances explained above.

**Declaration**

I/We, ..... solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.  
 Incase the original license is traced, I/We assure you that the same shall be returned to the authority.

.....  
**Signature of the Applicant**

Date:  
 Place:

FORM - IRDA - 10- LF  
 [See Regulation 10(3)]  
 NOT TRANSFERABLE  
 License No.....  
 DUPLICATE LICENSE

Name ..... Address: House No. ....  
 Street ..... Town/ District ..... State ..... Pincode ..... having  
 paid Rs. Five only and having made the necessary declaration of having lost/destroyed/mutilated the license is hereby  
 authorized under Section 64-UM of the Insurance Act, 1938 to continue to act as surveyor and loss assessor for the balance  
 period till expiry of the license.

This Licence will expire on DD-MM-YYYY

The surveyor and loss assessor will continue to work for the following departments:

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Category								

Hyderabad, dated the ..... 20.....

Signature of the license Holder.....  
 Seal of the Firm/Company.....

.....  
 Designated Person  
 Insurance Regulatory and Development Authority

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**

Notes:

- If it is desired to renew this license for a further period, the procedure stated in the Regulations shall be followed, and an application for renewal should reach the Authority at least thirty days before the license expires.

2. This license authorizes the license holder to act as a surveyor and loss assessor for any registered insurer and therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the license.
3. No correction in this license shall be valid unless initiated by the Designated Person of the Authority.

FORM - IRDA - 12  
[See Regulation 19(b)]

FORMAT FOR ANNUAL SUBMISSION OF RETURN TO THE AUTHORITY

1. Name of Surveyor .....

2. License Details

Current SLA No. .....  
Date of Expiry DD-MM-YYYY

MEMBERSHIP DETAILS OF INSTITUTE:

Membership/ ID card No .....  
Date of Issue of ID card .....  
Level of membership allotted .....

Qualifications acquired in the past 1 year (Upload docs for proof)

- a) Academic / Professional .....
- b) Insurance .....
- c) Training Attended .....

(Nature – Duration for all of the above)

3. No. of surveys done in last financial year and the name of insurers:

20 \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

Insurers	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP	Total
A									
B									
C									
D									
.....									

4. Quantum of losses assessed in last financial year:

20XX-20XX

Fire	No.	Marine cargo	No.	Marine Hull	No.	Engg	No.	Motor	No.	Misc	No.	Crop Insurance	No.	LOP	No.
>10 lacs		>1 lacs		>10 lacs		>2.5 lacs		>50,000		>1 lac				>10 lacs	
1-10 Lacs		25,000- 1 lac		2.5-10 lacs		50,000- 2.5 lacs		10,000- 50,000		25,000- 1 lac				1- 10	

0-1 lac	0-25,000	0-2.5 lacs	0-50,000	0-10,000	0-25,000	lacs 0-1 lac
Total						

## 5. Declaration

I..... solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date:  
Place:

Signature of the applicant.....

## FORM - IRDA-13

PRESCRIBED FORMAT FOR ENROLLMENT AS TRAINEES  
(Reg 16(1))

## Instructions:

- 1) It is mandatory to enclose copy of the Student membership ID issued by the Institute.
- 2) It is mandatory to attach certificate of trainer/surveyor firm along with the enrollment application.
- 3) Enrollment applications will be processed by IRDA only after receiving online submission of certificate from the selected trainer/Surveyor firm by trainee.
- 4) Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change.

## Details of the Applicant

1. Name .....
2. Membership Details of the Institute:
3. Student Membership no .....
3. Permanent address .....
4. Present address .....
5. Communication details .....

Phone Office	Phone Res.	Fax	Mobile	Email ID	Alternate Email ID

6. Date of Birth .....
7. Nationality .....
8. Qualifications acquired in the past 1 year (Upload docs for proof)
  - a) Academic / Professional .....

e) Insurance .....

f) Training Attended .....

(Nature—Duration for all of the above)

9. Occupation status:

<input type="checkbox"/> Student	<input type="checkbox"/> Professional	<input type="checkbox"/> Business	<input type="checkbox"/> Employee	<input type="checkbox"/> Service	<input type="checkbox"/> Housewife	<input type="checkbox"/> others .....
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

10. Employment details:

g) Whether applicant is currently employed? Yes/No .....

h) If yes, provide details below and also attach scanned copy of NOC from employer

Name of Employer	Nature of Organization	Nature of Work	Period of employment	
			From Date	To Date
	(Govt/Semi-govt/Private Firm, insurance company, surveyor firm, PSU, others)	(Insurance survey related, Others)		

i) Details of any other business/profession carried out:

Name of Firm	Designation	Nature of Business

11. Options for departments, in which you wish to be trained and granted surveyors license

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_  
 6. \_\_\_\_\_ 7. \_\_\_\_\_ 8. \_\_\_\_\_

12. Name of Trainer Surveyor: .....

SLA No. ....

*Membership Details of the Institute:*Membership ID card No .....  
 Date of Issue of ID card .....  
 Level of membership allotted .....  
 Date of expiry .....

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Level of Membership								

Present Address .....

Communication details.

Phone Office	Phone Res.	Fax	Mobile	Email ID	Alternate Email ID

13. Declaration

I solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Applicant .....

Date:

Place:

1227 9/7/13-19

## FORM -IRDA-14

## FORMAT OF CERTIFICATE FROM TRAINER SURVEYOR GIVING ACCEPTANCE TO IMPART TRAINING (REG 16(1))

## Important Instructions:

This form needs to be filled by trainer after receiving automated notification regarding enrollment of the trainee surveyor

I, \_\_\_\_\_ (name of Surveyor/ Surveyor Firm) bearer of Surveyor's Licence no. & *Membership details* certify that Mr. / Ms. \_\_\_\_\_ is enrolled for training as a trainee surveyor in the following department/s:  
 (i) \_\_\_\_\_ (ii) \_\_\_\_\_ (iii) \_\_\_\_\_ (iv) \_\_\_\_\_ (v) \_\_\_\_\_ (vi) \_\_\_\_\_  
 (vii) \_\_\_\_\_ (viii) \_\_\_\_\_

I have verified the information pertaining to educational qualifications and certify that they are true and correct. I am a Member of the Institute and hold a valid surveyor license issued by the Insurance Regulatory And Development Authority for the departments I am imparting practical training.

I undertake to impart practical training to the best of my knowledge and ability and agree to supervise his/ her performance on a weekly basis, based on records to be maintained by the trainee and keep the Insurance Regulatory And Development Authority informed about the progress by way of submission of quarterly reports in the form and manner prescribed.

Surveyor's License No \_\_\_\_\_

Date of Expiry \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Communication \_\_\_\_\_

Phone Office	Phone Res.	Fax	Mobile	Email ID	Alternate Email ID

Signature Of Trainer \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

## FORM -IRDA-15

QUARTERLY REPORT- FORMAT FOR DAILY DIARY  
(REG 16(3))

## Important Instructions:

## FORMAT FOR DAILY DIARY

(TO BE MAINTAINED BY TRAINER SURVEYOR AND SUBMITTED ONLINE IN SOFT FORM ON QUARTERLY BASIS)

Report for the Quarter ending: \_\_\_\_\_ (MM/YYYY)

1. Name of Trainee \_\_\_\_\_

2. Address \_\_\_\_\_

3. Communication \_\_\_\_\_

Phone Office	Phone Res.	Fax	Mobile	Email ID	Alternate

					Email ID

4. Name of Trainer Surveyor / Surveyor Firm : .....

Current License No .....  
Date of expiry .....  
Membership Details

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Level of Membership								

Date of commencement of training : .....

Department	Contents of training imparted (Upload in soft form and Attach supporting documents wherever possible)

Date:  
Place:

SIGNATURE OF TRAINER

FORM-IRDA-16  
TRAINING COMPLETION CERTIFICATE  
(REG 16(3))

Important Instructions:

TO BE SUBMITTED BY TRAINER FOR EACH TRAINEE, AFTER COMPLETION OF THE TRAINING

SLA No..... <<Trainer Name>><<Trainer Address>>  
Date of Expiry: ..... <<Trainer Qualification>>  
Membership ID No..... level of Membership .....  
SURVEYOR & LOSS ASSESSOR  
<List of department in which trainer is licensed>

This is to certify that Mr/Ms ..... had undergone training with me in department/s <List of departments with check box> From <date> to <date> for a period of 12 months/6 months. During the process he learnt various aspects of <department> for surveying and loss assessing

During the period of training I found him/her hardworking, sincere, and understanding. In my opinion he is fully conversant with all the techniques of Survey and

I wish him/her all the best in his/her all future carrier,  
<Additional remark if any>

<Trainer Name>  
SURVEYOR & LOSS ASSESSOR  
SLA NO..... Date of Expiry.....

Membership No..... Level of Membership.....

1227 99/13-20

FORM-IRDA-17 AF  
Reg [3(2)(C)]

APPLICATION FORMAT FOR GRANT OF MODIFIED LICENSE  
INDIVIDUAL SURVEYOR

**Important Instructions:**

Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change, attach copies of documents as proof

Name

Name of Firm/Company (*wherever applicable*) ..... Remarks .....  
 SLANO ..... Expiry date ..... Membership ID No ..... level of Membership .....

Present Address :

Address 1: ..... Address 2: ..... Address 3: .....  
City/Town/Village : ..... District: ..... State: .....  
Country: ..... Pincode: ..... Remarks: .....

*Change in Licensee Name*

Incorporation of Sole Proprietary firm's Name :

Name of Firm : ..... Remarks: .....

Grant of Additional Departments :

Depts	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Select	<input type="checkbox"/>							

Swapping of Departments :

Select	Current Department	Select New Department	License category (As per categorization)

Remarks: ..... (*should we delete this as we are removing the restriction in departments*)

Correction in the license already issued (*where there is a typographical error in the license issued*):

Change in level of Membership allotted by the Institute

From ..... To ..... (*Attach soft copy of Membership certificate issued by the Institute indicating such change/s and reasons thereof*)

Change in Personal information :

Phone No.(Res) ..... Phone No. (Office): ..... Mobile No. ....  
e-mail: ..... Alternate e-mail: ..... Remarks: .....

Signature of the applicant

Place....

Date....

FORM-IRDA-18  
Reg. [4(1)(xi)]

## APPLICATION FORMAT FOR GRANT OF MODIFIED LICENSE CORPORATE SURVEYOR

## Important Instructions:

Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change, attach copies of documents as proof.

## Select Modification Type

## (o) Name

Name of Firm/Company ..... Remarks .....

## (o) Corporate License No.....

Expiry date .....

## (o) Corporate/Registered Office Address :

Address 1: ..... Address 2: ..... Address 3: .....

City/Town/Village : ..... District: ..... State: .....

Country: ..... Pincode: ..... Remarks: .....

## (o) Branch Office Address :

Select Branch       Pune     Satara     Nasik    

Address 1: ..... Address 2: ..... Address 3: .....

City/Town/Village : ..... District: ..... State: .....

Country: ..... Pincode: ..... Remarks: .....

## (o) Change in Director/Partner Details :

- Add new Director/Partner     Remove existing Director/Partner     Modify existing Director/Partner
- (o) Change in employee :

- Add new employee/s     Remove existing employee/s
- (o) Change in Share holding pattern and Promoter(s)

## (o) Correction in the license already issued ( where there is a typographical error in the license issued):

## (o) Change in the level of Membership allotted by the Institute to the director(s)/partner(s)

From ..... To ..... ( Attach soft copy of Membership certificate issued by the Institute indicating such change/s and reasons thereof)

## (o) Opening of branch offices/any other office by corporate surveyor

## (o) Change in Personal information :

Phone No.(Res) ..... Phone No. (Office): ..... Mobile No. ....  
 e-mail: ..... Alternate e-mail: .....  
 Remarks: .....

Signature of the director/partner  
Seal of the company

Date:

Place:

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. H14/161/12/Exty.]